महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी शहर निर्माण

एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी शहर निर्माण : एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

जुलाई 2011 में प्रकाशित

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस मार्गदर्शिका के किसी भी अंश का पुनरीक्षण, पुनर्प्रयोग, अनुवाद व उद्धरण नहीं किया जा सकता। इस दस्तावेज़ का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विक्रय व वितरण, किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है।

इस दस्तावेज़ में व्यक्त विचार जागोरी के हैं।

केवल सीमित वितरण के लिए।

प्रकाशन : जागोरी, बी-114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110 017
वेबसाइट : www.jagori.org, ई-मेलः jagori@jagori.org, safedelhi@jagori.org

लेखन : रीना ओ-लियरी, अमेरिकन इंडिया फ़ाउंडेशन फ़ैलो, जागोरी में कार्यरत और कल्पना विश्वनाथ, जागोरी/विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल

अनुवाद : जुही जैन

टाइपिंग : सुनीता ठाकुर

प्रारूप व सज्जा : निकोलस हॉफ़लैंड एंड काशीनाथ यादव

मुद्रण : सिस्टम्स विज़न

सहयोग : यूएन विमेन साउथ एशिया

विशेष सहयोग : इक्को, नीदरलैंड, ईईडी, जर्मनी

महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी शहर निर्माण

एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

जागोरी
JAGORI

आभार

इस दस्तावेज़ के प्रकाशन में सहयोग के लिए हम निम्न व्यक्तियों के आभारी हैं :

प्रो. किरन वालिया, माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) – महिलाओं व लड़कियों के लिए दिल्ली को एक हिंसामुक्त व सुरक्षित शहर बनाने के प्रति उनकी सोच और प्रतिबद्धता के लिए।

राजीव काले, महिला एवं बाल विकास विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

गीतांजली सिंह, यूएन विमेन साउथ एशिया ऑफ़िस

सिसिलिया एंडरसन, यूएन हैबिटेट, सेफ़र सिटीज़ प्रोग्राम

सोहेल हुसैन, एनलिटिका कंसल्टिंग सर्विसेज़, हैम्पशायर यू.के.

जागोरी : सुनीता धर, गीता नम्बिसन, अनुप्रिया, प्रभलीन, क्रति, रत्नमंजरी, महाबीर और अन्य सदस्य

महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी शहर निर्माण

एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

विषय सूची

- बॉक्स सूची
- परिचय 5
- सुरक्षित शहरों पर काम के लिए मार्गदर्शक नियम 13
- सुरक्षा रणनीति का निर्माण 16
- जानकारी संकलन साधन 27
- हस्तक्षेप क्षेत्र 35
- हस्तक्षेप के लिए लाभदायक व्यवहार 42
- सारांश 48
- अतिरिक्त पठन सामग्री 49

परिशिष्ट

अ) सुरक्षा जांच के लिए निर्देश 53

ब) सड़क सर्वेक्षण का नमूना 56

बॉक्स सूची

बॉक्स 1: महिलाओं पर हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र उदघोषणा

बॉक्स 2: महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित शहर

बॉक्स 3: 'शहर पर अधिकार' की परिभाषा

बॉक्स 4: महिला सुरक्षा पर दिल्ली उदघोषणा (2010)

बॉक्स 5: नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन

बॉक्स 6: सुरक्षित शहर पर काम के सिद्धांत

बॉक्स 7: सामुदायिक भागीदारों के लिए मूल प्रश्न और उत्तर

बॉक्स 8: शोध में सहभागी महिलाओं के खतरों को कम करने के लिए सुझाव

बॉक्स 9: सुरक्षा जांच के समय उभरने वाले मुद्दे

बॉक्स 10: फ़ोकस ग्रुप चर्चाओं के लिए नमूना प्रश्न पत्र

बॉक्स 11: यौन उत्पीड़न से संबद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

परिचय

मार्गदर्शिका के विषय में

यह मार्गदर्शिका महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहर बनाने की प्रक्रिया का व्यापक परिचय प्रदान करती है। इसमें सुरक्षित शहरों पर काम के मुख्य सिद्धांत दर्ज हैं तथा यह एक सुरक्षित व समावेशी शहर के निर्माण के लिए व्यावहारिक साधनों का उल्लेख करती है। इस मार्गदर्शिका में शामिल जानकारी विश्व स्तर पर ज़मीनी काम की गहरी समझ व शोध अध्ययन तथा भारत में *जागोरी* के काम पर विशेष रूप से केंद्रित की गई है।

जागोरी में सुरक्षित शहरों के मुद्दे पर छः वर्षों में काम के दौरान हमने यह सीखा है कि महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहरों का निर्माण संभव है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मार्गदर्शिका सुरक्षित शहर व समुदाय के निर्माण के आपके काम में उपयोगी साबित होगी।

यह मार्गदर्शिका किसके लिए है?

यह मार्गदर्शिका उन व्यक्तियों व संगठनों के लिए है जो महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहरों के निर्माण के काम से जुड़ना चाहते हैं। इस मार्गदर्शिका में सुरक्षित शहरों पर काम के लिए महत्वपूर्ण संभार (लॉजिस्टक्स) व प्रक्रियाओं पर सुझावों के साथ-साथ अनेक नीति-स्तरीय चिंताओं को भी संबोधित किया गया है। जिन लोगों व समूहों के लिए यह मार्गदर्शिका उपयोगी हो सकती है, उनमें गैर-सरकारी संगठन, व्यावसायिक समूह, स्थानीय सरकार, अनुदाता एजेंसियां व नागरिक समाज समूहों के सदस्य शामिल हैं।

इस मार्गदर्शिका का कैसे इस्तेमाल किया जाए?

यह मार्गदर्शिका सुरक्षित शहरों पर काम का परिचय देने के अतिरिक्त सुरक्षित शहरों पर काम की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली संदर्भ सामग्री भी है। हमारा सुझाव है

कि आप इसे एक बार पूरी तरह पढ़ें, जिससे सुरक्षित शहरों पर काम के सभी पहलुओं से आप भली-भांति अवगत हो सकें। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार आप इसे विशेष मुद्दों पर जानकारी अथवा सुरक्षित शहरों पर काम के नियम व मार्गदर्शक नीतियों के पुनरीक्षण के लिए इस्तेमाल करें। मार्गदर्शिका के अंत में कुछ अतिरिक्त संदर्भों की सूची दी गई है।

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा उन्मूलन आंदोलन का विकास

महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहरों के निर्माण पर काम, महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का अंत करने के लिए चलाए पारदेशी आंदोलन का व्यापक हिस्सा है। महिलाओं व लड़कियों पर हिंसा एक मानव अधिकार उल्लंघन है तथा यह विश्व स्तर पर जेंडर निष्पक्षता हासिल करने की दिशा में मुख्य अवरोधक है।

बॉक्स : 1

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के उन्मूलन के संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में 'महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा' की परिभाषा हैः 'लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसका परिणाम है अथवा जिससे महिलाओं को शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा होने की संभावना हो और जिसमें निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में, धमकी, दबाव या स्वतंत्रता का जबरन हनन करने वाले कार्य भी शामिल हों।'

[(स्रोतः महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का अनुच्छेद 1, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा 20 दिसंबर 1993, के प्रस्ताव 48/104 में घोषित।) (http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm)]

पिछले तीस वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा, जिसमें कार्यस्थल व घर के भीतर होने वाली हिंसा भी शामिल है, को ख़त्म करना है। दुनिया भर में नारीवादियों ने महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत किए हैं व इस दिशा में सक्रिय कार्यवाही भी की है। पिछले एक दशक के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को सम्बोधित करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

महिलाएं व लड़कियां सार्वजनिक स्थलों पर अनेक व विभिन्न प्रकार की हिंसा व उत्पीड़न झेलती हैंः घूरने, कटाक्ष करने से लेकर लुक-छिप कर पीछा करने व यौन आक्रमण तक। शहरी जीवन में आक्रामक रूप से घूरने व छींटाकशी जैसे उत्पीड़न व हिंसा के रूप रोज़मर्रा का हिस्सा बन गये हैं। इस विषय पर दुनिया भर के विभिन्न शहरों के अनेक अध्ययन किए गए हैं और सभी में एक जैसे परिणाम हासिल हुए हैं। विश्व के चार शहरों में किए गए एक अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं शहरी क्षेत्रों में असुरक्षित महसूस करती हैं। [स्रोतः विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल, *लर्निंग फ्रॉम विमेन टू क्रिएट जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़*]

"महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों का बढ़ता आंदोलन महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के उन्मूलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लैंगिक असमानता पैदा करने वाले सर्वांगी सामाजिक कारणों को लक्ष्य बनाकर तथा महिलाओं व लड़कियों को अपने समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए सशक्त बनाने का काम साथ-साथ करना चाहता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर आंदोलन का मूल विश्वास है कि हिंसा व हिंसा का डर महिलाओं व लड़कियों की उनके शहरों तक पहुंच, जिसमें रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनैतिक व मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं, सीमित करता है। इसलिए हिंसा व हिंसा के डर के नतीजतन, महिलाएं व लड़कियां शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं से वंचित रहती हैं और उनके पास शहरों में पुरुषों के समान अधिकार नहीं होते।" [स्रोतः विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल, *लर्निंग फ्रॉम विमेन टू क्रिएट जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़*]

महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी शहर क्या है?

सुरक्षित शहर हस्तक्षेप का उद्देश्य सुरक्षित और समावेशी शहरों का निर्माण करना है। एक सुरक्षित शहर में, महिलाएं और लड़कियां हिंसामुक्त और हिंसा के डर व ख़तरों से आज़ाद होती हैं।

बॉक्स : 2

महिलाओं व लड़कियों के लिए एक सुरक्षित शहर है :

- वह शहर जहां महिलाएं व लड़कियां सार्वजनिक स्थलों व सार्वजनिक जीवन का आनन्द हमले के डर के बिना उठा सकें।
- वह शहर जहां महिलाओं व लड़कियों पर घर व सड़क दोनों जगह हिंसा न की जाती हो।
- वह शहर जिसमें महिलाओं व लड़कियों के साथ भेदभाव न किया जाता हो और जहां उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक अधिकारों की पूरी गारंटी हो।
- वह शहर जहां महिलाएं व लड़कियां उस समुदाय से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी करें जिसमें वे रहती हैं।
- वह शहर जो सभी नागरिकों को विशेषतः महिलाओं व लड़कियों के मानवाधिकारों की रक्षा करता हो।
- वह शहर जहां राज्य व स्थानीय सरकार महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा पर ध्यान दे, उसकी रोकथाम करे व उसके लिए सज़ा मुहैया करे।
- वह शहर जहां राज्य व स्थानीय सरकार महिलाओं व लड़कियों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो।

[स्रोतः यूएन विमेन, सेफ़ सिटीज़ मॉड्यूल], http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1304107021.pdf

महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहर का निर्माण महत्वपूर्ण क्यों है?

असुरक्षा तथा हिंसा की वास्तविकता व डर महिलाओं व लड़कियों को सामुदायिक जीवन में बतौर पूर्ण व समान नागरिक योगदान देने से रोकता है। महिलाओं व लड़कियों का "शहर पर अधिकार है।" जब ये अधिकार मुहैया नहीं होता तब महिलाओं और लड़कियों को शैक्षिक, आर्थिक व राजनैतिक मौकों में महत्वपूर्ण अड़चनों का सामना करना पड़ता है।

सुरक्षा या उसकी कमी का महिलाओं व लड़कियों के जीवन पर ठोस प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, स्कूल आते-जाते रास्ते में छेड़छाड़ के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। इस मामले में सुरक्षा की कमी न सिर्फ़ डर का अहसास पैदा करती है, बल्कि लड़कियों के पास स्कूल छोड़ देने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं रह जाता।

केवल हिंसा ही नहीं, बल्कि हिंसा का डर भी महिलाओं व लड़कियों के "शहर पर अधिकार" में रुकावट डालता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महिलाएं व लड़कियां अक्सर हिंसा से बचने के लिए बचाव के रास्ते इख़्तियार करती हैं। अंधेरे रास्तों से दूर रहना, विशेष जगहों जैसे पैदल पारपथ, बगीचों में न जाना, कोई हथियारनुमा चीज़ साथ रखना या फिर संकोचशील पहनावा इस सच्चाई को रेखांकित करता है कि हिंसा की वास्तविक वारदातों के अतिरिक्त, हिंसा का डर भी अनगिनत तरीकों से महिलाओं व लड़कियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट पैदा करता है।

बॉक्स : 3

"शहर पर अधिकार" की परिभाषा

"शहर पर अधिकार" के मायने समावेशी शहरों के निर्माण के लिए अधिकार-आधारित पद्धति से है। समावेशी शहर के चार आयाम होते हैं-आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक।

"शहर पर अधिकार" में समानता के चार आयामों का संक्षेपण है, जो एक साथ मिलकर समावेश की गारंटी देते हैं। शहर पर अधिकार का मूलभूत नियम यह है कि मानव अधिकार एक-दूसरे पर निर्भर व अविभाज्य हैं। इसलिए शहर के सभी निवासियों के लिए सभी मानवाधिकार साथ-साथ मुहैया होने चाहिए।

[स्रोतः यूएन हैबिटेटः *स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड्ज़ सिटीज़ 2010/2011: ब्रिजिंग द अरबन डिवाइड*। ऑनलाइन उपलब्ध : http://www.unhabitat.org/pmss/list Item Details.aspx? publication ID=2917]

बॉक्स : 4

महिलाओं की सुरक्षा के दिल्ली घोषणापत्र 2010 में उल्लेख है :

"महिलाओं व लड़कियों" पर हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और यह लैंगिक समानता, न्याय, अमन व सतत विकास के रास्ते की अड़चन है।

शहरी जीवन में महिलाओं के विविध अनुभव निजी व सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न व लिंग आधारित भेदभाव से प्रभावित होते हैं, इसमें राजनैतिक और सामाजिक-आर्थिक भागीदारी से बाहर रखने के साथ-साथ अनिवार्य सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं तक सीमित पहुंच भी शामिल है।

महिलाओं व लड़कियों के शहर पर अधिकार में अधिक न्यायसंगत, प्रजातंत्रीय व समावेशी शहरों में, हिंसा व डर से आज़ाद जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। महिलाओं व लड़कियों को अधिकार है कि वे स्थानीय सरकारों, शहरी नियोजन और प्रबंधन की निर्णायक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनें तथा उनमें भागीदारी करें।"

दिल्ली घोषणापत्र का प्रारूप महिला सुरक्षा पर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2010 के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था। इसके पहले महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा पर मॉन्ट्रियाल घोषणापत्र (महिला सुरक्षा पर पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2002) तथा महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा पर बोगोटा घोषणापत्र (महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा पर द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2004) जारी किया गया था।

[स्रोत : *महिला सुरक्षा पर दिल्ली घोषणापत्र 2010*। ऑनलाइन उपलब्ध : http://www.womenincities.org/pdf-general/delhi_declaration_call_to_action_web.pdf]

शहर को महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित अथवा असुरक्षित बनाने वाले कारण कौन से हैं?

महिलाओं की सुरक्षा व सुरक्षा के अनुभव विभिन्न परस्पर संबंधी कारणों से प्रभावित होते हैं। हिंसा व अपराध के स्तर के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व पारिवारिक

मुद्दों का जटिल ताना-बाना महिलाओं की सुरक्षा अथवा असुरक्षा की भावनाओं व अनुभवों पर असर डालता है।

महिलाओं व लड़कियों की शहर में सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों में निम्न शामिल हैं-

- ***ग़रीबी व सामाजिक-आर्थिक दर्जा :*** ग़रीब महिलाएं अक्सर ज़रूरी सेवाओं को हासिल करने में कड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती हैं। इनमें से कई, खासतौर से बेघर महिलाओं, महिला विक्रेता व घरेलू कामगारों के लिए नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों व सार्वजनिक यातायात की ज़रूरत उनकी अरक्षिता की भावना को और बढ़ाती है।
- ***आधारभूत सुविधाएं :*** महिलाओं के लिए सुरक्षित व साफ़ सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा सुरक्षा बढ़ाती है। गंदे, अंधकारमय, टूटे-फूटे दरवाज़ों तथा परिचारक रहित शौचालयों को महिलाएं शायद ही कभी इस्तेमाल करती हों। अंधेरे रास्ते महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ख़तरा हैं। अंधेरी सड़कों व पगडंडियों पर चलने से महिलाएं कतराती हैं। इसके अलावा सड़क पर रोशनी का अभाव व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं को देर-रात तक काम करने में रुकावट पैदा करता है। साथ ही सुरक्षित व कुशल सार्वजनिक यातायात की कमी महिलाओं की शहर तक पहुंच में समस्याएं पैदा करती है।
- ***जगहों का उपयोग व अच्छी जानकारी :*** जगहों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का लिंग महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करता है। *जागोरी* के शोध से पता चलाता है कि दिल्ली में महिलाएं पुरुष-प्रमुख इलाकों जैसे सिगरेट की दुकान, ढाबा, टैक्सी स्टैंड व शराब के ठेकों पर असहज महसूस करती हैं। महिलाएं न सिर्फ़ इन जगहों के उपयोग से हिचकिचाती हैं बल्कि उत्पीड़न के डर से वे इनके आस-पास जाने से भी परहेज़ करती हैं।
- ***सामाजिक रवैया :*** महिलाओं व लड़कियों के यौन उत्पीड़न को महत्वहीन व साधारण "ईव-टीज़िंग" कहकर सामान्य बनाने का रवैया महिलाओं की असुरक्षा बढ़ाता है। इसके अलावा महिलाओं व लड़कियों पर अक्सर उनकी वेशभूषा, व्यवहार व कपड़ों के कारण यौन उत्पीड़न झेलने का दोषी करार दिया जाता है। यह व्यवहार महिलाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेवारी उन्हीं पर थोपकर इन विचारों के पीछे छिपे पितृसत्तात्मक रवैयों को उजागर नहीं करता।

- ***पुलिस का रवैया :*** पुलिस में किसी मामले की शिकायत करने की समस्या पुलिस पर इस विश्वास की कमी के साथ जुड़ी है कि वे मामले को गंभीरता से लेकर इस पर कार्यवाही करेंगे। महिलाओं के ख़िलाफ़ लिंग आधारित हिंसा के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता महिलाओं को पुलिस के पास जाने से रोकती है, जिसके नतीजतन प्रतिक्रिया का एक संभावित मार्ग बंद हो जाता है।

सुरक्षित शहरों पर काम के लिए मार्गदर्शक नियम

सुरक्षित शहर हस्तक्षेप का प्रारूप बनाने की शुरुआत करते समय हम आपको इन मार्गदर्शक नियमों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये नियम सुरक्षित शहरों पर काम के दौरान दिशासूचक का काम करेंगे। जैसे-जैसे काम में प्रगति होगी, इन मार्गदर्शक नियमों पर विचार करना फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वे कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन को आकार देने में उपयोगी रहे हैं अथवा नहीं।

सुरक्षा से अधिकार तक

अपने व्यापक स्तर पर सुरक्षित शहरों पर काम की रूपरेखा महिलाओं की शहर तक पहुंच व सुरक्षा के अधिकार को महत्व व प्रोत्साहन देगी। सुरक्षा की पारम्परिक समझ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत पर ज़ोर देकर उन पर सुरक्षा व बचाव दोनों की ज़िम्मेदारी डाल देती हैं। महिलाओं को पितृसत्ता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर रहकर अपनी सुरक्षा करने की हिदायत दी जाती है : संकोचशील पहनावा, 'अनुपयुक्त' जगहों से दूर रहना, कुछ ख़ास समय पर बाहर जाने से बचना आदि। व्यवहार में, जब यौन उत्पीड़न या हमला होता है तो दूरबीन महिला की तरफ़ यह देखने के लिए घुमा दी जाती है कि उसने नियमों का कैसे उल्लंघन किया है- क्या वह रात के समय बाहर थी? वह क्या पहने थी? किसके साथ थी? वगैरह, वगैरह।

विडम्बना यह है कि यह प्रतिबंधात्मक उपाय महिलाओं को खास सुरक्षित महसूस नहीं कराता। अगर कुछ तो यह उन्हें डर कर रहने व दिमाग में मजबूर होने का अहसास कराकर उनकी अरक्षिता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करके, उनकी गतिशीलता घटाकर उन्हें काम व सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने में रुकावट पैदा करता है। यह महिलाओं का आत्म-विश्वास घटाकर उन्हें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों की सुरक्षा पर आश्रित करता है। यह उन्हें अपनी क्षमताओं को संतोषप्रद रूप से पूरा करने तथा एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के उपयोग से भी वंचित रखता है।

सुरक्षित शहरों पर काम महिलाओं की सुरक्षा को, बिना हिंसा के डर के शहर तक पहुंच के नज़रिये से देखता है। महिलाओं पर सुरक्षा की ज़रूरत व पितृसत्तात्मक पाबंदियां न थोपते हुए, यह नज़रिया महिलाओं व लड़कियों के बतौर नागरिक, सुरक्षित शहर के अधिकार को पहचानता है।

सुरक्षित शहरों पर काम के लिए अन्य मार्गदर्शक नियम :

- **पहचानों के प्रतिच्छेदन के प्रति संवेदनशीलता :** 'पहचानों के प्रतिच्छेदन' के मायने हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति की विभिन्न पहचानें-लिंग, वर्ग, नस्ल, उम्र, कौशल, दर्जा, यौन झुकाव-एक साथ मिलकर उनके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। लिंग के अतिरिक्त एक महिला की अन्य पहचानें शहरी स्थलों पर उसके अनुभवों तथा हिंसा के प्रति उसकी अरक्षितता पर असर डालती हैं। सुरक्षित शहरों पर काम में 'पहचानों के प्रतिच्छेदन' तथा विभिन्न महिलाओं की ज़रूरतों का निरंतर उल्लेख किया जाना चाहिए।

- **महिलाओं व लड़कियों को उनकी सुरक्षा से जुड़े फैसलों में शामिल करना :** सुरक्षित शहरों पर काम में महिलाओं व लड़कियों की बतौर 'एजेंट' निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- **महिलाओं व लड़कियों के जीवन के अनुभवों से उत्पन्न ज्ञान के मूल्य को मान्यता देना :** अपनी सुरक्षा को लेकर महिलाएं व लड़कियों स्वयं ही निपुण होती हैं। सुरक्षित शहरों पर काम के प्रारूप में सुरक्षा व असुरक्षा से जुड़े उनके अनुभवों को मान्यता देकर उसका लाभ उठाना चाहिए।

- **वास्तविक सुरक्षा तथा सुरक्षा के अहसास दोनों पर ध्यान केंद्रित करना :** सुरक्षित शहरों पर हस्तक्षेप का लक्ष्य है-हिंसा व हिंसा के डर को घटाना। सिर्फ़ हिंसा की वास्तविक घटनाओं को कम करना काफ़ी नहीं होगा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि महिलाएं व लड़कियां हिंसा व हिंसा के डर से सुरक्षित व आज़ाद महसूस करें। "जब निजी व सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं व लड़कियां हिंसा से सुरक्षित नहीं होतीं तो वे शहर से अलगाव व ख़ौफ़ महसूस करती हैं। लिहाज़ा महिलाओं व लड़कियों की असुरक्षा की भावना चाहे किसी विशेष घटना से सीधे तौर पर संबंधित हो या न हो, फिर भी उसके परिणाम वही हो सकते हैं। एक महिला के साथ घटने वाली हिंसा की वारदात सभी अन्य महिलाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि सभी महिलाएं लिंग आधारित हिंसा की संभावना से सचेत हो जाती हैं-महिलाओं की लैंगिक भूमिका उन्हें डरकर रहना सिखा देती है। इसी कारण से, सुरक्षित शहरों के कार्यक्रमों में महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा व सुरक्षा के अहसास दोनों को सम्बोधित किया जाना चाहिए।" [स्रोतः यूएन विमेन, *सेफ़ सिटीज़ मॉड्यूल*]

- **लिंग शहरी अनुभवों को प्रभावित करता है-तथ्य की पहचान करना :** महिलाएं व पुरुष शहरी माहौल व परिस्थितियों को अलग-अलग ढंग से अनुभव करते हैं। शहरी योजनाशास्त्री जगह को विशिष्ट रूप से "लिंग निष्पक्ष" समझते हैं और यह मान लेते हैं कि यहां पुरुषों व स्त्रियों के अनुभव समान होंगे। शहरी प्रारूप व योजना बनाने में लिंग संवेदी नज़रिया समाहित करना और हस्तक्षेप के लैंगिक प्रभाव का जायज़ा लेना महत्वपूर्ण है।

- **समुदाय, पुरुषों व लड़कों तथा पक्षधरों की भागीदारी :** सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा, चाहे महिलाओं के लिए हो या अन्य अरक्षित समूहों (जैसे बज़ुर्ग, विकलांग व्यक्ति) उस जगह का उपयोग करने वाले सभी पक्षधरों की भागीदारी की अपेक्षा रखती है।

सुरक्षा रणनीति का निर्माण

सुरक्षा रणनीति वह रूपरेखा है जो सुरक्षित शहरों पर काम का किसी विशेष शहर या समुदाय में मार्गदर्शन करती है। महिलाओं व लड़कियों पर हिंसा का कोई एक कारण अथवा एक हल नहीं होता। सुरक्षित शहरों पर काम का सबसे पहला कदम है एक सुरक्षा रणनीति का विकास जो इन जटिलताओं को सम्बोधित करे। यह सुरक्षा रणनीति शहर में महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले उन तमाम कारणों के ध्यानपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होगी। यह जानकारी महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ाने वाली हस्तक्षेप योजना का हिस्सा बनेगी।

महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा मापने व इसकी बढ़ोतरी के लिए हस्तक्षेप योजना विकसित करते समय, पांच प्रमुख कार्यक्षेत्र ध्यान में रखे जाने चाहिए :

1. **विशेष स्थानीय समस्याओं को समझना व परिभाषित करना**
2. **सुरक्षा/असुरक्षा में योगदान देने वाले मौजूदा कार्यक्रमों व नीतियों का मूल्यांकन**
3. **पणधारियों के साथ भागीदारी की स्थापना**
4. **हस्तक्षेपों का नियोजन व कार्यान्वयन**
5. **निगरानी व मूल्यांकन**

ये पांचों क्षेत्र एक साथ मिलकर सुरक्षा रणनीति गठित करते हैं।

क्षेत्र-1 : विशेष स्थानीय समस्याओं को समझना व परिभाषित करना

इस क्षेत्र का लक्ष्य है समुदाय में महिलाओं व लड़कियों के प्रचलित सुरक्षा हालातों पर जानकारी जुटाना। हम कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तलाश रहे हैं, जैसे :

महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा में **अवरोधक क्या हैं**? कौन से इलाके सुरक्षित या असुरक्षित हैं और क्यों? महिलाएं व लड़कियां अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए किन सुरक्षा रणनीतियों का इस्तेमाल करती हैं? सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं व लड़कियां किस प्रकार की हिंसा और यौन उत्पीड़न झेलती हैं?

शहर में महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा (या असुरक्षा) में सहयोग देने वाले कारणों को दो मुख्य और परस्पर संबंधी श्रेणियों में बांटा जा सकता है : भौतिक कारण व सामाजिक कारण।

सुरक्षा प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों में शामिल हैं :

- उपयुक्त रोशनी
- चलने लायक सड़कें
- साफ़ व सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता

सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारणों में शामिल हैं :

- सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी से जुड़ी समुदाय की उम्मीदें (क्या उन्हें सार्वजनिक जगह के उपयोग के लिए कोई "वैध" कारण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जैसे राशन की खरीदारी या बच्चों को लाना/ले जाना)
- यौन उत्पीड़न की गंभीरता अथवा तुच्छता से जुड़े विचार
- महिलाओं का सामाजिक दर्जा, विशेषतः राजनैतिक व आर्थिक ताकत

महिलाओं व लड़कियों के जीवन में घटे अनुभवों से अर्जित ज्ञान इस जानकारी का प्रमुख स्रोत है। विशेषज्ञों का योगदान व विद्वानों के शोध भी समझ के लिए उपयोगी संदर्भ व उभरने वाले विशेष मुद्दों के विश्लेषण में सहायक होंगे।

जानकारी संकलन/निदान चरण में स्थानीय नज़रियों का उपयोग सदैव फायदेमंद रहता है। सुरक्षा मुद्दे शहर में हर जगह एक समान हों ऐसा मुमकिन नहीं होता। खास समुदायों व इलाकों पर भी केंद्रित करना उपयोगी रहता है। हालांकि एक भौगोलिक क्षेत्र पर शोध से हासिल जानकारी अक्सर शहर में व्याप्त मुद्दों पर प्रकाश डालती है, फिर भी यह याद रखना भी आवश्यक है कि शहर के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में सुरक्षा के हालात बहुत भिन्न हो सकते हैं।

जानकारी संकलन हेतु निदान चरण में उपयोगी कुछ अन्य साधन निम्न हैं :

- फ़ोकस ग्रुप चर्चाएं
- सुरक्षा जांच
- सर्वेक्षण : सड़क सर्वेक्षण अथवा घरेलू सर्वेक्षण

इन जानकारी संकलन साधनों की आगे के पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

क्षेत्र-2 : सुरक्षा/असुरक्षा में योगदान देने वाले मौजूदा कार्यक्रमों व नीतियों का मूल्यांकन

नियत शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित शहर हस्तक्षेप मौजूदा कार्यक्रमों व नीतियों से प्रभावित संदर्भ में किये जाएंगे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों व नीतियों का शुरूआत में ही मूल्यांकन कर लिया जाए। ये कार्यक्रम और नीतियां भौतिक, पर्यावरण व सामाजिक कारकों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

बॉक्स : 5

कार्यक्रमों व नीतियों का मूल्यांकन

कुछ मुख्य प्रश्न जिनके उत्तर तलाशने होंगे, उनमें निम्न शामिल हैं :

1. इलाके में कौन सी मूल/ज़रूरी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हैं - स्कूल (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च), स्वास्थ्य, कल्याण सहयोग, आश्रयघर, इत्यादि - और ये स्थानीय ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा करती हैं?
2. इलाके में पुलिस व अन्य न्यायिक सेवाएं किस हद तक उपलब्ध हैं?
3. कौन सी सेवाएं व कार्यक्रम विशेषतः महिलाओं व लड़कियों का सहयोग व प्रतिनिधित्व करती हैं तथा वे स्थानीय ज़रूरतों को किस सीमा तक पूरा करती हैं?
4. क्या सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न व हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं व लड़कियों के लिए कोई विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं?
5. हिंसा से जूझकर बाहर आने वाली उत्तरजीवी महिलाओं व लड़कियों के लिए कौन सी सहयोगी सेवाएं उपलब्ध हैं? अपराधियों के अभियोजन व सज़ा से जुड़े कौन से कानून हैं?

पुलिस व कार्यक्रमों के अतिरिक्त, शहरी माहौल को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों का भी मूल्यांकन करना आवश्यक है। लैंगिक संवेदनशील शहरी नियोजन (जो समझता है कि महिलाएं व पुरुष शहरी जगहों का अलग-अलग उपयोग करते हैं और इनमें उनके अनुभव भी फ़र्क़ होते हैं) महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने का सशक्त साधन है। इसके विपरीत महिलाओं व लड़कियों की विशेष सुरक्षा ज़रूरतों तथा सामुदायिक सुरक्षा को नज़रअंदाज़ करने वाले शहरी नियोजन महत्वपूर्ण सुरक्षा अवरोध पैदा कर सकते हैं।

बॉक्स : 6

सुरक्षित शहरों पर काम के सिद्धान्त

सुरक्षित शहरों पर काम में अग्रणी मॉन्ट्रियाल शहर में सुरक्षित शहरों के शहरी नियोजन के छः सिद्धांत विकसित किए हैं जो शहरी नियोजन के मूल्यांकन के लिए सहयोगी संकेत बिंदु हो सकते हैं :

- **सिद्धांत 1 :** आप कहां हैं और कहां जा रही हैं– इसकी जानकारी रखें– दिशासूचक पट्ट
- **सिद्धांत 2 :** देखें और दिखाई दें– प्रत्यक्षता
- **सिद्धांत 3 :** सुनें और सुनाई दें– लोगों की मौजूदगी
- **सिद्धांत 4 :** बचकर भागने व मदद हासिल करने में सक्षम– औपचारिक निरीक्षण व सहायता तक पहुंच
- **सिद्धांत 5 :** स्वच्छ व दोस्ताना माहौल में रहें– स्थानीय प्रारूप व रखरखाव
- **सिद्धांत 6 :** एकजुट कार्यवाही– समुदाय की भागीदारी

[स्रोतः सी.आई.एस.सी.एस.ए. (सिससा) *टूल्स फ़ॉर द प्रमोशन ऑफ़ सेफ़ सिटीज़ फ़्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव* http://www.redmujer.org.ar/pdf_publicaciones/art_18.pdf]

महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से संबद्ध नीतियों में इन तथ्यों को शामिल किया जा सकता है कि महिला हिंसा के मामलों व उत्तरजीवियों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा है या सार्वजनिक परिवहन महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है। व्यापक तौर पर यह जायज़ा लेना महत्वपूर्ण है कि सरकारी नीतियां नागरिकता से जुड़ी

गतिविधियों में महिलाओं व पुरुषों की भागीदारी के लिए बराबरी का माहौल पैदा करने में सक्षम हैं या नहीं। क्या महिलाओं के जीवन की विशेष आर्थिक व सामाजिक ज़रूरतों को (जैसे घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं के लिए भरोसेमंद व किफ़ायती शिशुसेवा/बालवाड़ी) सम्बोधित करने वाली नीतियां मौजूद हैं? क्या महिलाएं अपने "शहर पर अधिकार" तथा नागरिक जीवन में भागीदारी के अधिकार से वाकिफ़ हैं?

मौजूदा नीतियों के निरीक्षण में, ध्यान योग्य विशेष क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं :

1. पणधारियों के कार्य के लिए रूपरेखा और उद्देश्य स्थापित करने वाली नीतियां, संरचनाएं, योजनाएं व अन्य अगुवाइयां।
2. महिलाओं की समानता, अधिकारों व महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पर मौजूदा कानून।
3. पुलिस सेवा व अगुवाइयां, शहरी नियोजन, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक जागरूकता अभियान, शैक्षिक संस्थानों से संबद्ध पहल, सामुदायिक संघटन व नेतृत्व तथा सेवाओं तक पहुंच से संबंधित सेवाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं।

[स्रोतः विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल। *पॉलिसी रिव्यु टैम्प्लेट*, डेवलप्ड फ़ॉर द जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम]

क्षेत्र-3 : पणधारियों के साथ भागीदारी की स्थापना

स्थानीय सुरक्षा समस्याओं की पहचान व मूल्यांकन करने के बाद, अब समय है उन समस्याओं को सम्बोधित करने में शामिल विभिन्न व्यक्तियों व समूहों को जांचने का। इसके पश्चात ही ये एक साथ मिलकर हस्तक्षेपों के नियोजन व कार्यान्वयन पर काम के लिए समूहों का गठन कर सकते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि सहभागिता स्थापित करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है और सभी पणधारियों की इसमें समान भूमिका नहीं होगी। साझेदारी की सफलता के लिए ज़रूरी है कि सभी पणधारी अपना पक्ष स्पष्टता से व्यक्त कर सकें और एक दूसरे के पक्षों को भी समझने का प्रयास करें।

भागीदारों की पहचान : समुदाय में महिलाएं व लड़कियां

भागीदारों में एक समूह महिलाओं व लड़कियों का है जो सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों का लाभ पाएंगी। इन हस्तक्षेपों से विशेषतः महिलाओं व लड़कियों के कौन से समूह लाभान्वित होंगे? अगर इस प्रश्न का उत्तर है, "शहर की महिलाएं व लड़कियां", तो हमें और अधिक विशिष्ट होने की आवश्यकता है। हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि कौन सी महिलाएं

बॉक्स : 7

सामुदायिक भागीदारों से संबद्ध प्रमुख प्रश्न जिनका उत्तर देना महत्वपूर्ण हैं, में निम्न शामिल हैं :

1. कौन से विशिष्ट समूह- उम्र, जातीयता, स्थान, जीवन-शैली या अन्य विशेषता-लाभान्वित होंगे और क्यों?
2. परोक्ष रूप से कौन से अन्य समूहों को लाभ होगा?
3. इन समूहों का आकार क्या है? हरेक में कितनी महिलाएं व लड़कियां हैं?
4. ये प्रधान भागीदार हस्तक्षेप क्षेत्रों में महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए कौन सी कार्यवाही देखना पसंद करेंगी व क्यों?
5. भागीदार अंत में कौन से परिवर्तन देखना चाहेंगी?
6. भागीदारों के अनुसार उपलब्धि को कैसे मापा जाएगा- सफलता के अच्छे संकेतक कौन से होंगे?
7. वे कौन से महिला समूह, युवा समूह, सामुदायिक संगठन, सार्वजनिक अथवा/निजी सेवाओं व एजेंसियों को ये भागीदार इस परियोजना में बतौर साझेदार शामिल करना चाहेंगी?

[स्रोत : सोहेल हुसैन, *स्कोपिंग स्टडी गाइडेंस,* यूएन ग्लोबल प्रोग्राम]

व लड़कियां हिंसा से सबसे अधिक अरक्षित और असुरक्षित हैं? वे कौन से विशिष्ट जोख़िम हैं जिनका सामना वे सबसे ज़्यादा करती हैं?

भागीदारों की पहचान: अन्य पणधारी

- सरकारी कर्मचारी व एजेंसी
- ज़मीनी स्तर पर कार्यरत महिला संगठन
- स्थानीय गैर-सरकारी संगठन
- पुरुष व लड़के
- मीडिया, निजी क्षेत्र, शोध संस्थान आदि अन्य पक्ष

सुरक्षित शहरों पर हस्तक्षेप में सरकार अक्सर एक प्रमुख भागीदार होती है। 'सरकार' की प्रमुख श्रेणी में पुलिस, सार्वजनिक परिवहन, महिलाओं व लड़कियों के कल्याण को विशेष रूप से संबोधित करने वाले मंत्रालय व एजेंसी तथा ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली नगरपालिका इकाईयां शामिल होती हैं। सरकार की प्रतिबद्धता चुनाव व अनुदान चक्र के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है, इसलिए यह सोचना बहुत आवश्यक है कि सुरक्षित शहरों के निर्माण पर काम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को कैसे सतत बनाया जाए। इसी के साथ रुचि और प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए राजनैतिक प्राथमिकताओं में संतुलन बनाए रखना भी उपयोगी रहता है।

भागीदारों की एक अन्य श्रेणी है, ज़मीनी स्तर पर कार्यरत महिला संगठन (युवा लड़कियों के साथ काम करने वाली विशेष संस्थाएं भी) व समुदाय में मज़बूत पकड़ रखने वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठन। जिन समुदायों में हस्तक्षेप किये जायेंगे, वहां कौन से संगठन गहरे तौर पर जुड़े हैं-यह मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों में भागीदार महिलाएं व लड़कियां इन समूहों को कैसे देखती हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण भागीदार समूह है-लक्षित समुदाय के पुरुष व लड़के। सुरक्षित शहर पर काम में पुरुष व लड़के प्रमुख भागीदार हैं। जब सुरक्षित शहरों पर काम में पुरुषों व लड़कों को शुरुआत से जोड़ा जाता है, तो वे महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा खत्म करने में सशक्त सामुदायिक समर्थक हो सकते हैं।

परिचालन समिति का गठन

भागीदारों की पहचान के बाद अब महिलाओं की सुरक्षा के काम को आगे ले जाने के लिए परिचालन समिति का गठन किया जाना चाहिए। परिचालन समिति की भूमिका सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों के लिए संपूर्ण योजना बनाने की है।

सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों की सफलता के लिए ज़रूरी है कि इनमें अनेक पणधारियों के प्रयास शामिल हों। इसका अर्थ यह है कि परिचालन समिति में न केवल सुरक्षित शहरों पर काम की अगुवाई करने वाले व्यक्ति, लक्षित समुदायों की महिलाएं व लड़कियां शामिल हों, बल्कि सरकारी निकायों (जैसे पुलिस, स्कूल, नगरपालिका व गैर सरकारी संगठन) तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी जोड़े जाएं।

चूंकि परिचालन समिति में विस्तृत श्रेणी के भागीदार शामिल होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि परिचालन समिति के सदस्यों के बीच पूरी तरह सहभागिता निभाने की साझी प्रतिबद्धता हो। जब परिचालन समिति में ज़मीनी स्तर पर कार्यरत महिलाएं, सरकारी अफ़सर व तकनीकी विशेषज्ञ साथ होंगे तो संभव है कि इन महिलाओं की आवाज़ें उन तकनीकी प्रश्नों को सम्बोधित करने में दरकिनार हो जाएं जिनके विषय में उन्हें अधिक ज्ञान नहीं है।

कार्यकारी समूह का गठन

परिचालन समिति में विभिन्न संगठनों व क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिचालन समिति के सभी सदस्य हस्तक्षेपों के उच्चतम नियोजन से जुड़े नहीं होंगे, अपितु परिचालन समिति रणनीति सूत्रबद्ध करेगी और "बड़े पैमाने" पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।

सुरक्षा हस्तक्षेपों का सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन व कार्यान्वयन सबसे अधिक प्रभावशाली तब होता है जब इसे एक छोटा कार्यकारी समूह बनाता है, जिसमें वे व्यक्ति शामिल हों जो सुरक्षित शहर हस्तक्षेप की योजना बनाने व उसे कार्यान्वित करने में प्रधान भूमिका अदा करेंगे। इस कार्यकारी समूह में उन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए जो सुरक्षित शहर पर काम में महत्वपूर्ण समय व ऊर्जा प्रदान कर सकें। इसमें उन समुदायों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है, जहां ये हस्तक्षेप किये जाएंगे। कार्यकारी समूह व परिचालन समिति के बीच नज़दीकी जुड़ाव होना चाहिए। जहां परिचालन समिति विस्तृत प्राथमिकताएं निर्धारित करके रणनीतियों की योजना बनाती है, वहीं कार्यकारी समूह हस्तक्षेप के लिए विस्तारपूर्वक योजना तैयार करता है।

कार्यकारी समूह में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी विविधताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सामाजिक-आर्थिक दर्जा, पलायन, ऊर्जा, यौन झुकाव, उम्र, जातीयता व कौशल जैसे सभी कारण महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। यह आवश्यक है कि कार्यकारी समूह में विभिन्न समूहों से महिलाएं शामिल की जाएं जिससे एक व्यापक नज़रिया विकसित किया जा सके।

परिचालन समिति व कार्यकारी समूह के विशेष कर्त्तव्य उनमें शामिल व्यक्तियों द्वारा तय किए जाने चाहिए। इन दो अलग परन्तु परस्पर व्याप्त समूहों के गठन का मकसद है-विस्तृत श्रेणी के पणधारियों (परिचालन समिति) को शामिल करते हुए कुशल नियोजन व कार्यान्वयन की नींव रखना (कार्यकारी समूह)।

क्षेत्र-4 : हस्तक्षेपों का नियोजन व कार्यान्वयन

जानकारी संग्रहण का काम, पणधारियों व लाभान्वित होने वालों की पहचान, परिचालन समिति व कार्यकारी समूह का गठन तथा मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों का मूल्यांकन-इन सभी का उद्देश्य एक सफल-सुरक्षित शहर हस्तक्षेप की नींव रखना है। प्रथम तीन चरणों से गुज़रने के बाद अब समय है, हस्तक्षेपों के नियोजन व कार्यान्वयन का।

जागोरी व उसके भागीदारों ने हस्तक्षेप के लिए सात प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए हैं। ये सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न के बचाव के साथ-साथ, प्रतिकार, न्याय व पीड़ित को जुर्म के बाद सहयोग-दोनों पहलुओं को सम्बोधित करते हैं-

1. शहरी नियोजन तथा सार्वजनिक स्थलों का प्रारूप
2. सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था व प्रबंधन
3. सार्वजनिक परिवहन
4. पुलिसिंग
5. कानून, न्याय व पीड़ित को सहयोग
6. शिक्षा
7. नागरिक जागरूकता तथा भागीदारी

[स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यूएन विमेन, यूएन हैबिटेट, जागोरी, *सुरक्षित शहर, महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसामुक्त शहर अभियानः दिल्ली के लिए एक रणनीतिक ढांचा, 2010*]

इन सातों क्षेत्रों का भौतिक, संस्थागत तथा पैरवी[1] संबंधित हस्तक्षेपों तक विस्तार है, हालांकि हर विषयक क्षेत्र में इन तीनों खण्डों का समावेश है, पर कुछ का केंद्र भौतिक हस्तक्षेप (जैसे शहरी नियोजन व प्रारूप, मूल सेवाओं की व्यवस्था, परिवहन) है, जबकि अन्य संस्थागत सुधार व सामर्थ्य विकास (उदाहरण के लिए पुलिसिंग, कानून व न्याय) की ज़रूरत दोहराते

[1] एडवोकेसी

हैं तथा कुछ और आगामी पीढ़ियों की सोच व रवैयों में परिवर्तन लाने के लिए पैरवी व जागरूकता बढ़ाने (उदाहरणतः शिक्षा व नागरिक जागरूकता) पर ज़ोर देते हैं।

हस्तक्षेपों को स्वभावानुसार बतौर 'क्विक विन'-तात्कालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन चरितार्थ किया जा सकता है। हस्तक्षेप के नियोजन व कार्यान्वयन के समय इन तीनों श्रेणियों के हस्तक्षेपों को शामिल किया जाना चाहिए। तात्कालीन 'क्विक विन' शुरूआत में ही सफलता का अहसास जगाकर दीर्घकालीन व जटिल कार्यों के लिए गतिशक्ति पैदा करते हैं। मध्य व दीर्घकालीन हस्तक्षेप असुरक्षा के बुनियादी कारणों को संबोधित करके बचावकारी तंत्र लागू करते हैं।

क्षेत्र-5 : निगरानी व मूल्यांकन

निगरानी व मूल्यांकन सुरक्षित शहरों पर काम की सफलता के लिए प्रमुख है। हालांकि लोग अक्सर यह मानते हैं कि निगरानी व मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाएं तब शुरू होती हैं जब सुरक्षित शहरों पर काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो चुका होगा। परंतु निगरानी व मूल्याकंन दोनों की नींव सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों की शुरूआत में ही रखना फायदेमंद रहता है।

निगरानी एक नियमित प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक नियत अवधि के दौरान किये काम को मापता है। निगरानी कुछ इस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती है : क्या प्रगति समय अनुसार चल रही है तथा क्या परियोजनाएं योजनाबद्ध रूप से प्रगति कर रही हैं? मूल्यांकन इन प्रश्नों का उत्तर देता है : इस परियोजना के प्रभाव क्या रहे हैं और किस सीमा तक हम योजना चरण में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर पाए हैं?

हालांकि ये जटिल और समय लेने वाली प्रतीत होती हैं, परन्तु निगरानी व मूल्यांकन की प्रक्रियाएं कार्यक्रम को अधिक सशक्त व सतत बनाती हैं। निगरानी व मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य सुरक्षित शहरों पर काम की बेहतरी व प्रमुख जानकारी प्रदान करना है जो भविष्य में परियोजना से जुड़े निर्णय लेने में सहयोग करे। इसके अलावा दोनों प्रक्रियाओं को परियोजना की विशिष्ट मांगों व बजट के अनुसार ढाला जा सकता है। अंततः यह प्रदर्शित करने की क्षमता कि परियोजना में मौजूद बेहतर निगरानी व मूल्यांकन प्रक्रियाएं मौजूद हैं, अनुदान दाताओं का सहयोग हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अक्सर सुरक्षित शहरों पर काम से सीधे तौर पर जुड़े सहभागियों के पास व्यापक निगरानी व मूल्यांकन प्रयासों से जुड़ने के लिए तकनीकी विशेषताओं का अभाव होता है। उन हालातों में, काम की शुरूआत में यह तय कर लेना उचित रहता है कि निगरानी व मूल्यांकन सहयोग हासिल करने के लिए कुछ धनराशि अलग रख ली जाए।

शुरूआत में एक आधार-रेखा अध्ययन[2] कर लेना उपयोगी रहता है। महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा हालातों पर उपयोगी जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त आधार-रेखा अध्ययन के परिणामों की मदद से हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन संभव हो सकेगा, क्योंकि अब हमारे पास हस्तक्षेप से पहले व बाद में तुलना करने के लिए आंकड़े मौजूद होंगे। हालांकि आधार-रेखा अध्ययन हस्तक्षेप के कार्यान्वयन से पहले किया जाता है, फिर भी इसे मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।

निगरानी व मूल्यांकन के काम की तरह ही, आधार-रेखा अध्ययन के संचालन में भी तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों के बजट में निगरानी व मूल्यांकन के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं (आवश्यक शोध व विश्लेषण करने के लिए व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए)।

अगले पाठ में चर्चित जानकारी संकलन साधन दोहरी भूमिका अदा कर सकते हैं। भागीदारों को विशिष्ट स्थानीय मुद्दे समझने और हल करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के अलावा ये साधन आधार-रेखा अध्ययन प्रक्रिया में भी सम्मिलित किए जाएंगे। इनकी मदद से उत्पन्न आंकड़ों को बाद के निगरानी व मूल्यांकन कार्य में बतौर "हस्तक्षेप-पूर्व" संदर्भ बिंदु उपयोग में लाया जा सकेगा।

[2] बेस-लाईन स्टडी

जानकारी संकलन साधन

उपर्युक्त चर्चाओं के अनुसार, सुरक्षा रणनीति के विकास में सबसे पहला कदम है- स्थानीय समस्याओं की पहचान करना। यह महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को पहचानने का प्रमुख ज़रिया है। इसके अलावा यह आधार-रेखा तथ्य प्रमुख संकलन हस्तक्षेपों के बेहतर मूल्यांकन में मदद करते हैं।

सुरक्षित शहरों पर काम के लिए जानकारी संकलन साधनों में निम्न हैं :

- सुरक्षा जांच
- सड़क व घरेलू सर्वेक्षण
- फ़ोकस ग्रुप चर्चाएं

इन शोध साधनों में से हरेक के आंकड़े व तथ्य अलग-अलग होंगे, पर एक साथ उपयोग होने पर ये तीनों साधन शहर में सुरक्षा व असुरक्षा की सूक्ष्म व सटीक छवि प्रस्तुत करेंगे।

सुरक्षित शहरों पर काम के शुरूआती चरणों में जानकारी संकलन का उद्देश्य महज़ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये जानकारी संकलन साधन स्वीकारते हैं कि महिलाओं, लड़कियों व समुदाय के अन्य सदस्यों के पास अपने जीवन के अनुभवों का मूल्यवान ज्ञान अर्जित होता है। ये साधन महिलाओं, लड़कियों व समुदाय के सदस्यों को इस प्रक्रिया में बतौर संपूर्ण सहभागी शामिल करते हैं। जानकारी संकलन प्रक्रिया अक्सर गहन चिंतन प्रेरित करके सुरक्षित शहरों के निर्माण में निवेश का अहसास पैदा करती है।

नैतिक सरोकार

किसी भी जानकारी संकलन कार्य की शुरूआत करने से पहले महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के नैतिक आयामों पर विचार करना आवश्यक है। लोगों के साथ हिंसा व यौन उत्पीड़न पर बात करने पर संवेदनशील बातें सामने आती हैं और कुछ गंभीर प्रश्न प्रतिवादियों को डरावनी व आक्रामक घटनाओं की याद दिलाकर उन्हें परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा शोध में भागीदारी, महिलाओं व लड़कियों की असुरक्षा बढ़ाकर उन्हें हिंसा के प्रति अरक्षित बना सकती है।

यह आवश्यक है कि शोध-टीम को प्रतिभागियों के साथ संवेदनशीलता व दक्षता के साथ बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जब आप महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पर शोध से जुड़ी हों तो शोध की शुरूआत से पहले प्रतिभागियों की जानकारीयुक्त रज़ामंदी लेना व उनकी गोपनीयता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

बॉक्स : 8

शोध में शामिल महिलाओं को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ सुझाव–

- एक घर से केवल एक ही महिला का साक्षात्कार करें।
- समुदाय में इस बात की चर्चा न करें कि सर्वेक्षण में हिंसा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
- उन परिवारों या कुंज के पुरुषों से हिंसा पर प्रश्न न करें जहां की महिलाओं से हिंसा पर बात हुई हो।
- साक्षात्कार पूरी गोपनीयता के साथ किया जाना चाहिए।
- साक्षात्कार के दौरान कमरे में दूसरे लोगों के आने पर फ़र्ज़ी प्रश्नावली का उपयोग करें।
- साक्षात्कार के दौरान बच्चों को बहलाने के लिए खेल व टॉफ़ी का इस्तेमाल करें।
- साक्षर लोगों के लिए स्वयं-उत्तर देने वाली प्रश्नावली साक्षात्कार के कुछ हिस्सों के लिए उपयोगी रहेगी।

जारी...

- प्रश्नकर्ता को प्रतिभागियों की तकलीफ़ पहचानने व दिलासा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- साक्षात्कार का समापन महिला की सशक्तता पर ज़ोर देते हुए सकारात्मक तरीके से किया जाना चाहिए।

[स्रोत: मेरी एल्सबर्ग एवं लॉरी हीस, *रिसर्चिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन: अ प्रैक्टिकल गाइड फ़ॉर रिसर्चर्स एंड एक्टिविस्ट्स।* डब्ल्यू.एच.ओ., पाथ: 2005, ऑनलाइन उपलब्ध: http ://www/path.org/files/GBV rvaw_ complete.pdf]

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घरेलू हिंसा शोध के लिए निम्न नैतिक व सुरक्षा सुझाव तैयार किए हैं। ये सुझाव सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर शोध/अध्ययन पर भी समान रूप से लागू होते हैं :

- प्रतिभागियों व शोध टीम की सुरक्षा सर्वोपरि है और परियोजना के सभी निर्णयों में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
- व्यापक शोध को कार्य प्रणाली के लिहाज़ से पुख़्ता तथा हिंसा की रिपोर्टिंग को कम करने के मौजूदा शोध अनुभवों पर आधारित होने चाहिए।
- गोपनीयता बनाए रखना महिलाओं की सुरक्षा व आंकड़ों की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है।
- शोध टीम के सदस्यों का ध्यानपूर्वक चुनाव होना चाहिए तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण व निरंतर सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।
- अध्ययन के प्रारूप में सहभागियों को शोध से पहुंचने वाली किसी भी तकलीफ़ से उबरने के लिए ठोस उपाय दर्ज होने चाहिए।
- मदद चाहने वाली महिलाओं को मौजूद सहयोग स्रोतों तक पहुंचाने के लिए ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहां कम व सीमित संदर्भ हों, वहां अध्ययन के तहत अल्पकालिक सहयोग प्रक्रिया की स्थापना की जानी आवश्यक है।

- शोधकर्ताओं व दाताओं का नैतिक दायित्व है कि खोजे गए तथ्यों का सही अर्थ निकला हो तथा उनका उपयोग हस्तक्षेप व नीति विकसित करने के लिए किया जाए।
- अन्य प्रयोजनों के लिए तैयार सर्वेक्षण में हिंसा से संबंधित प्रश्न तब ही जोड़े जाने चाहिए जब सभी नैतिक व प्रणाली संबंधी ज़रूरतें पूरी की जा सकें।

[स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन, *पुटिंग विमेन फ़र्स्ट : एथिकल एंड सेफ़्टी रेकमेंडेशंस फ़ॉर रिसर्च ऑन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन*। ऑनलाइन उपलब्ध : http ://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf]

सुरक्षा जांच

सहभागितापूर्ण सुरक्षा जांच सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व अरक्षितता के कारकों को तलाशने का साधन है। इसके अलावा, सहभागितापूर्ण सुरक्षा जांच परिवर्तन की संभावित कार्यवाहियों की पहचान करती है तथा इन कार्यवाहियों को स्थानीय व नीतिगत स्तर पर लागू करने के लिए जागरूकता, स्वामित्व व प्रतिबद्धता का निर्माण करती है।

सुरक्षा जांच पद्धति का विकास *मेट्रोपोलिटिन एक्शन कमेटी ऑन पब्लिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रेन (मेटरेक)* द्वारा 1980 में टोरोन्टो में बर्बर यौन आक्रमणों व कत्लों की वारदातों से उत्पन्न सार्वजनिक चिंताओं के बाद किया गया था। *मेटरेक* की परिभाषा के अनुसार सुरक्षा जांच एक ऐसी पद्धति है जिसका विकास "अरक्षित महसूस करने वालों के दृष्टिकोण से पर्यावरण का मूल्यांकन करने तथा हिंसा के मौकों को कम करने हेतु परिवर्तन लाने के लिए किया गया है।"

[स्रोतः *मेटरेक कम्यूनिटी सेफ़्टी प्रोग्राम*। http://www.metrac.org/about/downloads/about.metrac.brochure.pdf]

सुरक्षा जांच में, महिलाओं का एक समूह, जिनमें इलाके के नागरिक व उस जगह का उपयोग करने वाले लोग, सर्वेक्षण वाले इलाके में घूमते हैं और महिलाओं की सुरक्षा या असुरक्षा के कारणों का निरीक्षण करते हैं।

बॉक्स : 9

सुरक्षा जांच के दौरान ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे :

- रोशनी : क्या सड़क की बत्तियां जल रही हैं? क्या उनका वितरण उचित ढंग से किया गया है? क्या उनकी रोशनी पैदल चलने वाले रास्तों तक पहुंचती है? मरम्मत का काम कितने समय में होता है? नक्शे पर उन बत्तियों को चिन्हित करें जो खराब पड़ी हैं।
- साइनेज (नक्शे, दिशा संकेत आदि)
- अगर फुटपाथ हैं तो क्या उनकी चौड़ाई उचित है? क्या उनमें गति अवरोधक या बड़ी दरारें/गड्ढे हैं?
- क्या बच्चों की बग्घी व विकलांगों के लिए फुटपाथ तक पहुंच संभव है? (किनारों वाली पटरी, ईंट जड़ी पटरी आदि)
- रख-रखाव : कूड़ा, दीवारों पर चित्रण आदि। क्या कूड़ेदानों की व्यवस्था है?
- आपातकालीन स्थिति में मदद-क्या फ़ोन सुविधा है? क्या आसपास काफ़ी लोग हैं?
- क्या आस-पड़ोस की इमारतें अनौपचारिक निगरानी में मददगार हो सकती हैं? (बड़ी खिड़कियों वाली दुकानें, रेस्त्रां, बालकनी वाले घर/दफ़्तर)
- क्या कोई जगह छिपी या स्पष्ट रूप से दिखाई न देने वाली है? जैसे आलानुमा दरवाज़े, संकरी गली, वीथि आदि।
- क्या कोई अधूरी या ध्वस्त इमारत है जो असुरक्षित हो सकती है?
- कोई प्रत्यक्ष निगरानी/पुलिसिंग/पुलिस की वैन?
- क्या सड़क/पगडंडियों पर लोग मौजूद हैं?
- क्या सड़क पर कोई ऐसा समूह है जिसकी मौजूदगी महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाती है?
- क्या पुरुष व औरतों की संख्या समान है? वे जल्दी में हैं या आराम से घूम रहे हैं?
- क्या टहलने के पीछे कोई ठोस वजह हैं (बेंच, छायादार जगह, देखने के लिए रोचक वस्तु, लोक कला)
- क्या सुरक्षित पार-पथ मौजूद हैं?
- क्या बच्चे या युवा खेलते दिखाई दे रहे हैं? कौन सा उम्र समूह?

[स्रोत: *विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल, डेवलप्ड फ़ॉर द जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम*]

सुरक्षा जांच के संचालन में कुछ लाभदायक व्यवहार निम्न हो सकते हैं-

- जांच को स्थानीय स्तर पर केंद्रित करना
- सरकार का सहयोग जुटाना
- व्यावसायिकों व मुख्य निर्णयकर्ताओं को जांच में शामिल करना
- महिलाओं की सुरक्षा पर शोध
- सहयोगपूर्ण सामुदायिक ढांचे का गठन
- समुदाय का प्रतिनिधित्व—सबसे अरक्षित समूह को जांच में शामिल करना
- एक समर्पित टीम बनाना व दायित्व का स्पष्ट बंटवारा
- आत्म-विश्वास का विकास व शिक्षा
- वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना
- परिवर्तन के लिए उचित समय
- फ़ॉलो-अप अर्थपूर्ण बनाना

(स्रोतः यूएन हैबिटेट-*विमेंस सेफ़्टी ऑडिट्सः वॉट वर्क्स एंड वेयर?*)

सुरक्षा जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश परिशिष्ट **(अ)** में दिए गए हैं।

सड़क व घरेलू सर्वेक्षण

सड़क सर्वेक्षण एक सार्वजनिक जगह में संचालित किया जाता है और इसमें इलाके की सुरक्षा से जुड़े खास प्रश्न तथा सुरक्षा संबंधी आम प्रश्न पूछे जाते हैं। सड़क सर्वेक्षण से महिलाओं की सुरक्षा पर परिमाणात्मक आंकड़े उत्पन्न होते हैं जो गुणात्मक आंकड़ों को पूरा करते हैं।

एक नमूना सर्वेक्षण प्रश्नावली परिशिष्ट **(ब)** में संलग्न है। सर्वेक्षण के प्रश्न सुरक्षा व यौन उत्पीड़न के अनुभवों, अरक्षितता के संभावित स्रोतों व यौन उत्पीड़न पर प्रतिक्रियाओं को सम्बोधित कर सकते हैं।

घरेलू सर्वेक्षण, सड़क सर्वेक्षण से भिन्न होता है। प्रतिवादियों से बातचीत सार्वजनिक स्थलों की जगह उनके घरों में की जाती है। घरेलू सर्वेक्षण संभावित प्रतिभागियों की संख्या एक

विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक सीमित कर देता है। ये सर्वेक्षण विशेष स्थानीय हालातों के बारे में जानकारी संकलन साधन के रूप में उपयोगी हो सकता है।

सर्वेक्षण के संचालन के लिए तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण का प्रारूप तैयार करने वालों को सर्वेक्षण की रूपरेखा व नमूनों की तकनीक जैसे कारकों को ध्यान रखना चाहिए।

उच्च स्तरीय आंकड़े हासिल करने के लिए सर्वेक्षण का रूपांकन व संचालन उस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता रखने वालों द्वारा किया जाना चाहिए। आपके लिए सर्वेक्षण संचालित करने वाले ज़्यादा अनुभवी शोधकर्ताओं के साथ भागीदारी करना फायदेमंद हो सकता है।

फ़ोकस ग्रुप चर्चाएं

फ़ोकस ग्रुप चर्चाओं में लोगों का एक समूह एक सहयोगी और ढांचागत बातचीत के माध्यम से मुद्दे को समझने का प्रयास करता है।

फ़ोकस ग्रुप चर्चाएं अपने शहर के सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित व असुरक्षित महसूस कराने वाले कारण और इन जगहों पर महिलाओं की पहुंच व सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे मुद्दों पर जानकारी संग्रहित करने के लिए मूल्यवान साधन है। इन समूहों में, उदाहरण के लिए : घरेलू कामगार, सड़क पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी-खोमचे वाले, बेघर लोग, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, विकलांग व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति, लेस्बियन व गे पुरुष, रात की पाली में काम करने वाले मज़दूर व पलायनकर्ता शामिल किए जा सकते हैं।

फ़ोकस ग्रुप चर्चाओं के संचालन के लिए आप निम्न स्रोतों से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

- विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल, *टूल्स फ़ॉर गैदरिंग इन्फ़ॉरमेशन अबाउट विमेन्स सेफ़्टी एंड इन्क्लूशन इन सिटीज़ः एक्सपीरिंयसिज़ फ्रॉम द जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम।* आगामी।
- जागोरी एंड विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल, *अ हैंडबुक ऑन विमेन्स सेफ़्टी ऑडिट्स इन लो इन्कम अर्बन नेबरहुड्ज़ः अ फ़ोकस ऑन इसेंशियल सर्विसेज़,* http://www.femmesetvilles.org/pdf-general/idrc_hanbook_wsalow-income.pdf

बॉक्स : 10

फ़ोकस ग्रुप चर्चाओं के लिए नमूना प्रश्नावली

1. क्या आपको लगता है कि शहर की सार्वजनिक जगहें हर उम्र की महिलाओं व लड़कियों के आज़ादी से घूमने के लिए सुरक्षित हैं? क्या कोई विशेष स्थान हैं जो आप की नज़र में विशेषतः असुरक्षित हैं? ये जगहें असुरक्षित क्यों हैं? आपके ये विचार किन से प्रभावित हैं-आपके अपने अनुभव, दूसरों के अनुभव, मीडिया खबरें, कहानियां आदि। सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा से जुड़ी कोई खास कहानी या अनुभव हमारे साथ बांटें।
2. क्या कोई ऐसी जगहें हैं जहां आप विशेष तौर पर सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करती हैं? इन जगहों में ऐसा क्या है जो आपको ऐसा महसूस कराता है?
3. क्या घर से बाहर निकलते समय आप कोई बचाव के उपाय करती हैं? उदाहरण के लिए-क्या आप कुछ खास इलाकों, जगहों पर जाने से बचती हैं या अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार, स्प्रे इत्यादि लेकर चलती हैं।
4. क्या किसी असुरक्षित या खतरनाक हालात में आपने मदद मांगी है? क्या आप पुलिस के पास गईं? क्या किसी और से सहायता मांगी? क्या आपको मदद मिली? क्यों या क्यों नहीं? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो, ज़रूरत पड़ने पर आप किससे सहायता मांगने के बारे में सोचेंगी?
5. आपके अनुसार इस शहर/इलाके में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं? क्यों?
6. सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा व सुरक्षा के अहसास को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये नीति में परिवर्तन, प्रारूप, सेवाओं एवं (पुरुषों के) व्यवहार में बदलाव आदि से किया जा सकता है?

[स्रोतः विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल, *लर्निंग फ़्रॉम विमेन टू क्रिएट जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़*]

हस्तक्षेप क्षेत्र

इस खण्ड में विस्तार से सुरक्षित शहर हस्तक्षेपों के सात आशाजनक क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। *अतिरिक्त जानकारी के लिए स्ट्रैटिजिक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (डी.डब्ल्यू.सी.डी. एत एल 2010) देखें:*

1. शहरी परियोजना व सार्वजनिक स्थलों का प्रारूप
2. सार्वजनिक ढांचों व सेवाओं की व्यवस्था व प्रबंधन
3. सार्वजनिक परिवहन
4. पुलिसिंग[3]
5. कानून, न्याय व पीड़ितों को सहयोग
6. शिक्षा
7. नागरिक जागरूकता व भागीदारी

क्षेत्र-1 : शहरी नियोजन व सार्वजनिक स्थलों का प्रारूप

शहरी नियोजन व प्रारूपण के माध्यम से हम ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें महिलाओं पर हिंसा के मौके घटते या बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थलों का खराब प्रारूप, एकांत व अनुपयुक्त व घटिया रखरखाव, हिंसा का खतरा बढ़ा देते हैं, जबकि लिंग संवेदी शहरी नियोजन प्रत्यक्षता पर ज़ोर देकर सार्वजनिक जगहों के विविध उपयोग को बढ़ावा देते हुए महिलाओं की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है।

महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने वाले शहरी नियोजन व प्रारूप हस्तक्षेपों के कुछ उदाहरण हैं:

- ज़मीन के मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देना
- अंधेरी गलियां, बंद रास्ते व झाड़-झंखाड़ों वाले क्षेत्रों को हटा देना
- चौहद्दी दीवारों व सड़क पर देखने में आने वाली रुकावटों को हटा देना
- रेहड़ी-खोमचे वालों के प्रति संवेदनशील नीतियां

[3] निगरानी/चौकसी/पुलिस की गश्त

नैरोबी, कीनिया

सन 2006 में, यूएन हैबीटेट ने नैरोबी नगर परिषद के साथ भागीदारी करके नैरोबी शहर के लिए सुरक्षात्मक नज़रिये वाले विस्तारित नियोजन मार्गदर्शक विकसित किए। इनमें 'क्राइम प्रिवेंशन थ्रू इनवायरनमेंटल डिज़ाइन (सी.पी.टी.ई.डी.)' यानी पर्यावरण प्रारूप के माध्यम से अपराध की रोकथाम पद्धति अपनाई गई थी। इसका स्थान अब एक अधिक समग्र पद्धति ने ले लिया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों के प्रारूप, नियोजन व प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा चौकसी प्रश्नावली जांच सूची भी विकसित की गई है तथा नैरोबी व दार-ए-सलाम की शहरी परिषद के तकनीकी अफ़सरों को सुरक्षा जांच प्रशिक्षण भी दिए गए हैं। ये दोनों शहर अब व्यवस्थित रूप से सुरक्षा जांच को बतौर साधन क्षेत्र की असुरक्षा मापने के लिए कर रहे हैं।

क्षेत्र-2 : सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था व प्रबंधन

सार्वजनिक सेवाओं व आधारभूत सुविधाओं जैसे फुटपाथों, सड़क की बत्तियों, बगीचों व अन्य खुली जगहों के खराब रख-रखाव को शहर में महिलाओं की असुरक्षा बढ़ाने वाले कारणों में लगातार उल्लेख किया गया है। गंदे, अंधियारे व अनुपयुक्त जगहों पर स्थित सार्वजनिक महिला शौचालय तथा पारपथों/फुटपाथों पर स्थित खुले पुरुष शौचालय भी महिलाओं की असुरक्षा बढ़ाते हैं। टूटे-फूटे फुटपाथ तथा खुले कूड़ाघर सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए सुरक्षा समस्याएं तो पैदा करते हैं, पर महिलाओं के लिए वे यौन उत्पीड़न की विशेष परेशानी भी पैदा करते हैं। साफ़ व चलने योग्य फुटपाथ, अच्छी रोशनी वाली सड़कें, बगीचे, पार पथ व अन्य खुले स्थल तथा उपयुक्त जगहों पर स्थित व बेहतर ढंग से देखभाल किये जाने वाले सार्वजनिक महिला शौचालय महिलाओं पर यौन उत्पीड़न रोकने में मददगार साबित होते हैं।

क्षेत्र-3 : सार्वजनिक परिवहन

दुनिया भर में किये गए अध्ययन दर्शाते हैं कि पुरुष व स्त्रियां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अलग-अलग तरह से करते हैं। भारत में, उन घरों में जहां कार उपलब्ध हैं वहां भी पुरुष गाड़ी चलाते हैं और महिलाएं कार्यस्थल जाने, बच्चों को छोड़ने-लाने तथा अन्य

गतिविधियों को निपटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती हैं। लिहाज़ा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार ने महिलाओं के जीवन व शहर तक पहुंच पर तात्कालीन सकारात्मक परिणाम दर्शाए हैं।

मॉन्ट्रियाल व टोरोन्टो, कनाडा

मॉन्ट्रियाल व टोरोन्टो शहरों ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा व सुरक्षा के अहसास को बढ़ाने के लिए शहर की बसों में "बिटवीन टू स्टॉप्स" सेवा यानी "दो स्टॉपों के बीच" कार्यक्रम की शुरूआत की है। रात के समय अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए महिलाओं को ज़्यादा पैदल चलना न पड़े इसलिए इस समय बसों में यात्रा करने वाली किसी भी उम्र की महिला दो बस स्टॉपों के बीच कहीं भी बस रुकवा कर उतर सकती है।

[स्रोत : मिशॉड, ऐनी (2000) ऐपलिकासियों अ एस्कला अर्बान द ला पर्सपेक्टिवा द जेनेरोःलासेगुरिदा द ला मुइए य एल त्रान्सर्पोत पब्लीक ऑ मॉन्त्रियॉल, सीएएफ़एसयू, फैम ए वील, वील द मॉन्त्रियॉल, एसटीसीयूएम]

क्षेत्र-4 : पुलिसिंग

प्रत्यक्ष पुलिस की गैर मौजूदगी महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराती है।

दूसरी ओर, जो महिलाएं यौन उत्पीड़न झेल चुकी हैं वे पुलिस के पास इस डर से नहीं जाएंगी कि पुलिस कुछ करेगी नहीं या फिर घटना को मामूली समझेगी। पुलिसिंग के क्षेत्र में महिलाओं की असुरक्षा बढ़ाने वाले प्रमुख कारणों में निम्न शामिल हैं-

- प्रत्यक्ष पुलिस की मौजूदगी का अभाव
- पुलिस पर विश्वास की कमी
- महिला हवलदार व अफ़सरों की कम संख्या
- पितृसत्तात्मक रवैये व यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लेने की अनिच्छा
- खराब, काम न करने वाली हैल्पलाइन तथा हैल्पलाइन के बारे में जानकारी का अभाव

मुंबई, भारत

फरवरी 2008 में मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुबई के उप-मुख्यमंत्री व महिला संगठनों ने मिलकर 103 हैल्पलाइन की शुरूआत की। इस अगुवाई के पीछे महिला मुद्दों पर कार्यरत महिला संगठन, *अक्षरा* की अहम भूमिका थी। इस 103 नंबर हैल्पलाइन पर आने वाली सभी कॉलों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया का विकास *महिला व बच्चों के लिए विशेष विभाग* के साथ मिलकर किया गया तथा *अक्षरा* ने 103 कंट्रोल रूम कों जेंडर संबंधी मुद्दों व हैल्पलाइन प्रबंधन का प्रशिक्षण देने की ज़िम्मेदारी निभाई। *अक्षरा* ने इस हैल्पलाइन का विज्ञापन अभियान एक जानी-मानी विज्ञापन एजेंसी के साथ मिलकर कार्यान्वित किया। सम्प्रेषण सामग्री का विकास किया गया और उसका पोस्टर, पर्चियों, सार्वजनिक बसों/ ट्रेन पर विज्ञापन, इलैक्ट्रॉनिक ट्रैफ़िक होर्डिंग व सिनेमाघरों में स्लाइड के माध्यम से प्रचार किया गया। *अक्षरा* की सामुदायिक वीडियो इकाई ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अनुमोदन लिया तथा 103 हैल्पलाइन के प्रभाव पर कहानियों की फ़िल्में भी तैयार कीं।

http://aksharacentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=18

क्षेत्र-5 : कानून, न्याय व पीड़ितों को सहयोग

यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनी प्रावधान तथा पीड़ितों के लिए न्याय व सहयोग के मुद्दे सुरक्षित शहरों पर काम के लिए महत्वपूर्ण सरोकार हैं। इस क्षेत्र की तीन प्रमुख समस्याएं हैं:

- यौन उत्पीड़न की अस्पष्ट परिभाषाएं व अपराधकर्ता के लिए न्यूनतम सज़ा
- अधिकांश अभियुक्तों को न तो पकड़ा जाता है और न ही उन्हें दंड दिया जाता है
- पीड़ितों के लिए अपर्याप्त सहयोग

यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधान अस्पष्ट हैं तथा इनमें सज़ा के लिए काफ़ी कम प्रावधान है। भारतीय कानून में यौन उत्पीड़न को निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

बॉक्स : 11

भारतीय दंड संहिता[4] में यौन उत्पीड़न संबंधी प्रावधानः

- भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अनुसार किसी महिला व लड़की को अश्लील साहित्य व अश्लील तस्वीरें, किताबें या पर्चियां दिखाने वाले, पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा देते हुए, 2000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अ) व (ब) के अनुसार किसी महिला या लड़की को अश्लील इशारों, टिप्पणी, गाने या भाषा का इस्तेमाल करते, दोषी पाए व्यक्ति को तीन महीने कैद की सज़ा दी जाएगी।
- धारा 354 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के इरादे से बल प्रयोग करता है तो उसे दो साल तक कैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।
- धारा 509 के तहत किसी 'महिला की मर्यादा का अपमान करने' की नीयत से किये गए अश्लील इशारे, शारीरिक मुद्रा व टिप्पणी के लिए एक वर्ष की सश्रम कारावास अथा जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।
- धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है।
- धारा 376 बलात्कार के लिए सज़ा, जो सात साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है, का उल्लेख करती है।

यौन उत्पीड़न एक ऐसा जुर्म है जिसकी अनेक कारणों से रिपोर्ट नहीं की जाती। पुलिस, परिवार, दोस्त और पीड़ित महिला खुद इसे मामूली समझती हैं और इसके दोषी अपराधियों को जो अक्सर पैदल या गाड़ी में सवार होते हैं पकड़ना मुश्किल होता है।

इस व्यापक क्षेत्र में प्रमुख चुनौती पीड़ितों को सहयोग प्रदान करने की है। स्पष्ट है कि हिंसक अपराधों जैसे बलात्कार व यौन हमलों का शिकार होने वाली महिलाओ को गहन कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि नुकसानदेय न प्रतीत होने वाली, सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली 'ईव-टीज़िंग' का शिकार महिलाओं को इसी तरह का सहयोग प्रदान नहीं किया जाता, परन्तु वे भी इसी तरह के गहरे सदमे का अनुभव कर सकती हैं।

[4] इण्डियन पीनल कोड

तमिलनाडु, भारत

तमिलनाडु में 'ईव-टीज़िंग निषेध कानून 1998 में इस्तेमाल हुए शब्द 'ईव-टीज़िंग' का सदैव ग़लत अर्थ निकाला था, इसमें 'मासूम मज़ाक' का पुट भी निहित था। इस बात का ध्यान रखते हुए सन 2002 में इसी नाम से बनाए गए कानून में इस शब्द के स्थान पर "औरतों का उत्पीड़न' वाक्य का प्रयोग किया गया है।

क्षेत्र-6 : शिक्षा

शिक्षा का विषय तीन कारणों से महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चाओं के केंद्र में रहा है।

पहला, शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दूसरा, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों शैक्षिक तंत्रों को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते सरोकारों को पहचानने व उस पर प्रतिक्रिया दिखाने की आवश्यकता है। सभी विद्यार्थियों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों को लैंगिक समानता के विषय पर शिक्षित किया जाना चाहिए तथा छात्राओं को अपने अधिकारों की समझ होनी चाहिए, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट दर्ज करने व उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के हक़ पर भी जानकारी हो।

अन्ततः, गैर-स्कूली वातावरण में भी, स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी हर प्रकार के यौन उत्पीड़न के प्रति अरक्षित होते हैं। शिक्षा के संदर्भ में इस तीसरे महत्वपूर्ण आयाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस उम्र समूह की युवा महिलाओं व लड़कियों में गरिमा और आत्मविश्वास का अहसास कैसे विकसित किया जाए?

क्षेत्र-7 : नागरिक जागरूकता व भागीदारी

सार्वजनिक स्थलों पर यौन हिंसा से निपटने के लिए नागरिक जागरूकता में बढ़ोतरी तथा स्थानीय सामुदायिक संगठनों के साथ भागीदारी, लंबे दौर का एक कारगर उपाय हो सकता है।

इसमें क्षेत्र की नागरिक समितियों, गैर सरकारी संगठनों या सामुदायिक संगठनों के साथ काम को भी शामिल किया जा सकता है ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले और उसका उपयोग करने वाले लोग इस प्रक्रिया में निवेश करके हस्तक्षेपों मे एक व्यापक भागीदारी व स्वामित्व का विकास कर सकें। वे समुदायों की विभिन्न मांगों को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

हस्तक्षेपों के लिए लाभदायक व्यवहार

इस खंड में उपर्यक्त सात हस्तक्षेप क्षेत्रों पर लागू होने वाले लाभदायक व्यवहारों का विवरण दिया जा रहा है। इस खंड में भारत व विश्व के अन्य हिस्सों से हस्तक्षेप के सफल उदाहरणों पर भी रोशनी डाली जा रही है।

सामुदायिक संघटन व सार्वजनिक पैरवी

यौन उत्पीड़न के सबसे अधिक व्यापक रूपों (घूरना व छींटाकशी) को शहरी जीवन का सामान्य और अपरिहार्य हिस्सा मान लिया जाता है। महिलाओं व लड़कियों के लिए एक सुरक्षित समुदाय की स्थापना के लिए महिलाओं की भूमिका और उत्पीड़न के मान्य विश्वासों को चुनौती देनी पड़ती है।

प्रभावशाली संदेश व सार्वजनिक प्रचार सामग्री, खासकर यादगार प्रतीक चिन्ह, नारे सुरक्षित शहरों पर काम का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह सुरक्षित शहरों पर काम की ज़िम्मेदारी लेने के लिए समुदाय का संघटन (पुरुष, महिलाएं लड़कियां व लड़के) तथा इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम की सततता के लिए अहम है।

सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में मीडिया के साथ भागीदारी भी एक उपयोगी साधन है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिलचस्पी लेने वाले पत्रकारों को अपने समुदाय से जुड़े महिला सुरक्षा मुद्दों के विषय में उच्च कोटि की जानकारी प्रदान करें। ऐसी जानकारी शोध परिणामों की रिपोर्ट अथवा प्रमुख पणधारियों के साथ साक्षात्कार के रूप में हो सकती है।

सुरक्षित दिल्ली अभियान-दिल्ली, भारत

सन 2004 में दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा की रोकथाम के लिए *जागोरी,* दिल्ली के नारीवादी महिला समूह ने "सुरक्षित दिल्ली" अभियान की शुरूआत की। सार्वजनिक पहुंच इस अभियान का प्रमुख हिस्सा था। *जागोरी* ने इस अभियान के लिए विभिन्न सामग्री जैसे पोस्टर, स्टिकर, बिल्ले, हस्तपुस्तिकाएं, लघु टी.वी विज्ञापन व एक फ़िल्म तैयार की। *जागोरी* ने कॉलेजों व आस-पड़ोस के इलाकों में जागरूकता सत्र तथा सार्वजनिक जगहों पर विरोध मार्च, पर्चियों का वितरण आदि गतिविधियां भी आयोजित कीं। इस अभियान का केंद्रीय संदेश है कि हिंसा सिर्फ़ "महिलाओं का मुद्दा" नहीं है।

इस अभियान पर अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: www.jagori.org

सड़कों पर ज़्यादा औरतें (मॉर विमेन ऑन द स्ट्रीट-म्यूरल) आरजेंटीना

सन 2008 में रोज़ेरियो, आरजेंटीना की महिलाओं ने समुदाय को उन सार्वजनिक जगहों को वापस लेने व सुरक्षित बनाने के लिए संगठित किया जहां महिलाओं को यौन हिंसा का सामना नियमित रूप से करना पड़ रहा था। इसके लिए एक सफल रणनीति युवाओं व महिलाओं को सार्वजनिक कला का उपयोग करके दीवारों पर चित्रकारी (म्यूरल) बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दीवारों पर लिखे संदेश में कुछ इस प्रकार थे—
"सड़कों पर ज़्यादा औरतें-सबके लिए हिंसा मुक्त व ख़ौफ़ मुक्त शहर"

[स्रोतः यूएन विमेन, सेफ़ सिटीज़ मॉड्यूल]

विविध पणधारियों को शामिल करना

सुरक्षित शहरों पर काम में विविध पणधारियों को अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है। स्थानीय सरकार व पुलिस के अतिरिक्त, सामुदायिक संगठन, महिला समूह, छात्र संगठन, स्थानीय व्यापारियों व सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता संघ सुरक्षित शहरों पर काम में अहम भागीदार होते हैं।

सार्वजनिक परिवहन के साथ काम-दिल्ली

सुरक्षित दिल्ली अभियान की एक महत्वपूर्ण सहभागिता पूरे शहर में परिवहन चालकों के साथ रही है। इसके तहत एक अगुवाई ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा चलाया गया अभियान था जिसमें 5000 स्टिकर विभिन्न वाहनों और ऑटो रिक्शा स्टैंड पर लगाए गए थे। इन स्टिकरों पर लिखा था "यौन हिंसा अपराध है, मज़ाक नहीं। दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं।" दिल्ली परिवहन निगम के साथ एक लंबे दौर की सहभागिता के तहत बस चालकों और संवाहकों के साथ संवेदनशीलता कार्यशालाएं की गईं जिनमें सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं साथ होने वाले यौन शोषण और हिंसा के बारे में चर्चाएं की गईं। इस अगुवाई के हिस्से के रूप में 3500 चालकों को पहले दौर में प्रशिक्षण दिया गया, इसके बाद दूसरे दौर के प्रशिक्षण में इस मुददे पर चर्चाएं की गईं। इसके अलावा, बसों में संदेश लगाए गए कि यौन उत्पीड़न एक अपराध है। महिला कार चालकों में कौशल विकास और सहायता इस अगुवाई का ही एक हिस्सा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: www.jagori.org

प्रगतिशील तथ्य एकत्रण

जानकारी संग्रहण व आंकड़ों का एकत्रण जागरूकता बढ़ाने के मूल्यवान साधन हो सकते हैं। इन जानकारियों का वितरण सार्वजनिक नज़रिये में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि जब पुरुष व स्त्रियां इस समस्या के विस्तार के बारे में जानेंगे तब वे एक सुरक्षित व अधिक लिंग समावेशी शहर के निर्माण के अपने काम में एकजुटता का अनुभव करेंगे।

हरास मैप-काहिरा, मिस्र

काहिरा में हरास मैप एक एस.एम.एस. रिपोर्टिंग पद्धति है जिसके माध्यम से शहर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की खबर रखी जा सके। उद्देश्य है यौन उत्पीड़न की सामाजिक स्वीकृति को खत्म करना। महिलाएं यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट एसएमएस, ई-मेल, ट्वीट या

जारी...

हरास मैप वेबसाइट पर फ़ार्म भरकर दे सकती हैं। ये खबरें हरास मैप की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं और एक ऐसे नक्शे के लिए आंकड़े जुटाती हैं जो यौन उत्पीड़न की घटनाओं को स्थान व उत्पीड़न के स्वरूप (छूना, कनखियों से देखना, सीटी बजाना, व्यंग व मौखिक छींटाकशी, लुक-छिपकर पीछा करना, फ़ोन, अश्लील प्रदर्शन, यौन प्रस्ताव, चेहरे के भावों से भद्दे इशारे करना आदि) से वर्गीकृत करता है।

[स्रोतः http://harassmap.org]

प्रवर्तित मीडिया संचार रणनीति

प्रभावशाली संप्रेषण सामग्री का निर्माण और मुख्यधारा मीडिया के साथ भागीदारी सुरक्षित शहरों के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने का एक कारगर उपाय है। मुख्यधारा मीडिया विविध समूहों का सहयोग जुटाने तथा व्यापक विषम श्रोताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वैकल्पिक मीडिया जैसे नाटक व पर्ची का इस्तेमाल शहरों में अरक्षित और असुरक्षित महसूस करने वाले निम्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के साथ काम करने में उपयोग रहता है। आज के दौर में युवाओं के साथ जुड़ने के लिए इंटरनेट व अन्य नए संचार माध्यम भी महत्वूपर्ण पाए गए हैं।

ब्लैंक नॉयज़

ब्लैंक नॉयज़ एक सार्वजनिक और सहभागितापूर्ण कला परियोजना है जो सड़कों पर होने वाले उत्पीड़न को हिंसा के रूप में उभारने और शहरी क्षेत्रों में सड़क के विभिन्न पहलुओं पर समझ बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। स्वैच्छिक प्रयासों पर आधारित यह परियोजना भारत के नौ शहरों में विभिन्न संप्रेषण माध्यमों की मदद से सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली हिंसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। इस अभियान से जुड़े "एक्शन हीरोज़" द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नारों में 'तुम मुझे क्यों घूर रहे हो?' व 'मैंने कभी इसकी मांग नहीं की' प्रमुख हैं।

[http://blog.blanknoise.org/2009/02/reporting-to-remember_10.html]

होल्ला बैक

सन 2009 में, होल्ला बैक की शुरूआत वॉशिंगटन में सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा का सामना करने वाले व्यक्तियों के विचारों और अनुभवों को बांटने के लिए ऑनलाइन मंच के रूप में की गई थी। भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीक तथा सामुदायिक समाधानों की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए इस मंच ने कार्यशाला, नीति व पैरवी तथा सामुदायिक सहभागिता पर भी काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर से कई स्वयंसेवकों ने अपने शहरों में होल्ला बैक के हिस्से के रूप में सक्रिय प्रयास किए हैं।

[http://www.ihollaback.org/the-movement/]

पुरुषों व लड़कों के साथ काम

सुरक्षित शहरों पर काम में पुरुष व लड़के मुख्य भागीदार हैं। नज़रियों व अपेक्षाओं में परिवर्तन व महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के सभी रूपों की रोकथाम में पुरुषों व लड़कों को शामिल किए बगैर नहीं लाया जा सकता।

मैन-अप वर्ल्ड वाईड

मैन-अप एक वैश्विक अभियान है जो महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा की रोकथाम के लिए युवाओं की सक्रियता जुटाता है। अभियान खेलकूद, संगीत, तकनीक व कला का माध्यम उपयोग करता है। मैन-अप विश्व स्तर पर युवा पुरुष व महिलाओं के साथ प्रगतिशील प्रशिक्षण, संदर्भ व युवा जानकारी-युक्त अगुवाइयों को सहयोग प्रदान करके भागीदारी स्थापित करता है। यह अभियान भागीदार युवा समर्थकों व सलाहकारों का नेटवर्क तैयार करके उनके प्रयासों को सामुदायिक व मुख्यधारा संगठनों, खेलकूद समुदाय, मनोरंजन, गैर-मुनाफ़ा व प्राधिकरणों के साथ एक साझे लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता है। मैन-अप ने विश्व कप मंच का उपयोग महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए किया है और सहयोग के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को भी

जारी...

जोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में 2010 विश्व कप के दौरान मैन-अप ने प्रथम युवा सम्मेलन का आयोजन महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के मुद्दे को सम्बोधित करने तथा हिंसा खत्म करने के अपने पंचवर्षीय अभियान की शुरूआत के लिए किया था। द्वितीय युवा सम्मेलन 2014 ब्राज़ील विश्व कप के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा।

[http://www.manupcampaign.org/]

संघटित शहरी कार्यक्रम

महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहर बनाने में एक संघटित शहरी पद्धति, विभिन्न कार्यक्रमों व एजेंसियों को एक साझे लक्ष्य के साथ जोड़ सकती है। हालांकि इस पद्धति को लागू करने में शहरी सरकार के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन आवश्यक है, परंतु यह एक सशक्त व प्रभावशाली पद्धति है।

महिला-सहायक सिओल परियोजना, दक्षिण कोरिया

एशिया में, सिओल, कोरिया ने महिलाओं के लिए बेहतरीन शहरों के निर्माण के लिए पथ प्रदर्शित किया है। विमेन फ्रेंडली-सिओल प्रोजेक्ट-यानी महिला सहायक सिओल परियोजना के तहत शहर को सुरक्षित बनाने के अतिरिक्त महिला-सहायक शहरों के लिए भी मार्गदर्शक नियम बनाए गए हैं। अन्य बातों के अलावा, इसमें ये सुझाव दिए गए हैं कि सार्वजनिक परिवहन, आवास, सार्वजनिक शौचालयों, सड़क, बगीचों व अन्य खुली जगहों का प्रारूप महिलाओं की ज़रूरतों व सुरक्षा सरोकारों को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाया जा सकता है।

[स्रोतः सिओल मैट्रोपॉलिटिन गवर्नमेंट एंड सिओल फ़ाउंडेशन फ़ॉर विमेन एंड फ़ैमिली, *विमेन फ्रेंडली सिटी सिओल,* 2009]

सारांश

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें इस व्यावहारिक मार्गदर्शिका को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव, अतिरिक्त जानकारियां और संसाधन अवश्य भेजें। इस मार्गदर्शिका की आपके काम में उपयोगिता व इसकी कमियों के बारे में आपके आलोचनात्मक सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं। कृपया अपने सुझाव हमें इस पते पर भेजें :

जागोरी, बी-114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110 017
वेबसाइटः www.jagori.org
ई-मेलः jagori@jagori.org, safedelhi@jagori.org

कुछ प्रस्तावित पठन सामग्री

- ब्राउन एलिसन (2010) टेकिंग फ़ॉरवर्ड द राइट टू द सिटी; रिपोर्ट-यूएन हैबिटेट, http ://www.unhabitat.org/downloads/docs/Dialogue1.pdf
- काफ़स (2002) विमेन्स सेफ्टीः फ्रॉम डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी, एक्टिंग टुगैदर फ़ॉर विमेन्स सेफ़्टी, मॉन्ट्रियाल
  http://www.femmesetvilles.org/pdf-general/cafsu_fiches_en.pdf
- सी.आई.एस.सी.एस.ए. (2006) टूल्स फ़ॉर द प्रोमोशन ऑफ़ सेफ़ सिटीज़ फ़्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव, आरजेंटीना
  http://www.redmujer.org.ar/pdf_publicaciones/art_18pdf
- फ़ेडरेशन ऑफ़ कनेडियन म्यूनिसिपैलिटीज़&इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर म्यूनिसिपल डेवलपमेंट-(2004) ए सिटी टेलर्ड टू विमेन-द रोल ऑफ़ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स इन अचीविंग जेंडर
- इक्वेलिटी, ऑट्टवा, ऑनटेरियो
  http://www.womenincities.org/pdf-general/FCM_city_tailored_eng.pdf
- इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर द प्रिवेंशन ऑफ़ क्राइम (2008) विमेन्स सेफ़्टीः ए शेयर्ड ग्लोबल कंसर्न; बैकग्राउंड इन्फ़ॉरमेशन फ़ॉर कोलोकियम, कनाडा
  http://www.crime-prevention-intl-org/uploads/media/pub_206_1.pdf

- जागोरी एंड विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल (2010) ए हैंडबुक ऑन विमेन्स सेफ़्टी ऑडिट्स इन लो-इंकम अर्बन नेबरहुड्सः ए फ़ोकस ऑन इसेंशियल सर्विसेज़, दिल्ली http://www.femmesetvilles.org/pdf-general/idrc_hanbook_wsalow-income.pdf

- जागोरी, इज़ दिस आवर सिटी? मैपिंग सेफ़्टी फ़ॉर विमेन इन देहली, दिहली http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2009/02/is-this-our-city.pdf

- जागोरी (2011) सेफ़ सिटीज़ फ्री ऑफ़ वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स इनिशियेटिव रिपोर्ट ऑफ़ द बेसलाइन सर्वे, दिल्ली 2010, दिल्ली http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2011/03/Baseline-Survey_layout_for-Print_12_03_2011.pdf

- जागोरी (2010) अंडरस्टेंडिंग विमेन्स सेफ़्टी टुवर्ड्ः ए जेंडर इन्क्लूसिव सिटी; रिसर्च फ़ाइंडिंग्स, 2009-10, दिल्ली http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2010/11/gic-delhi-report.pdf

- जागोरी एंड यूएन हैबीटेट (2010) क्रॉसिंग बेरियर्स, ब्रेकिंग डिवाइड्स; मेकिंग देहली ए सेफ़र प्लेस फ़ॉर यूथ इन ए रिसेटलमेंट कॉलोनी, फेज़-1 दिल्ली http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2010/02/youth-and-safety-report-english.pdf

- जागोरी एंड यूएन हैबीटेट (2010) क्रॉसिंग बेरियर्स, ब्रेकिंग डिवाइड्स; मेकिंग देहली ए सेफ़र प्लेस फ़ॉर यूथ इन ए रिसेटलमेंट कॉलोनी; फेज़-2 दिल्ली http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2010/02/Youth_and_Safety_Report_English.pdf

- सिओल फ़ाउंडेशन ऑफ़ विमेन एंड फ़ैमिली, सिओल मैट्रोपॉलिटिन गवर्नमेंट, 2009, विमेन फ्रेंडली सिओल प्रोजेक्ट फ़सिलिटीज़ गाइडलाइंस 1, सिओल

- सिओल फ़ाउंडेशन ऑफ़ विमेन एंड फ़ैमिली, सिओल मैट्रोपॉलिटिन गवर्नमेंट, 2009, विमेन-फ्रेंडली सिओल प्रोजेक्ट फ़सिलिटीज़ गाइडलाइंस 2, सिओल

- यूएन-हैबिटेट (2009) जेंडर इक्वॉलिटी फ़ॉर स्मार्टर सिटीज़ः चैलेंजिज़ एंड प्रोग्रेस http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2887
- यूएन-हैबिटेट (2009) द ग्लोबल असेसमेंट ऑन विमेन्स सेफ़्टी http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2848
- यूएन-हैबिटेट (2009) विमेंस सेफ़्टी ऑडिट्स : वॉट वर्क्स एंड वेयर? http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationId=2847
- विश्वनाथ कल्पना एंड मेहरोत्रा सुरभि टंडन (2008) सेफ़ इन द सिटी? सेमिनार 583
- यूएन विमेन सेफ़ सिटीज़ मॉड्यूल http://www.endvawnow.org/en/modules/view/12-safe-cities.html
- विमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल (2010) लर्निंग फ़्रॉम विमेन टू क्रिएट जेंडर इंक्लूसिव सिटीज़ः बेसलाइन फ़ाइंडिंग्स फ़्रॉम द जेंडर इन्क्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम मॉन्ट्रियाल http://www.femmesetvilles.org/pdf-general/gicp_baseline.pdf
- विमेन्स इनिशियेटिव्स फ़ॉर सेफ़र इनवायरनमेंटस 2005, विमेन्स कम्यूनिटी सेफ़्टी ऑडिट गाइड, ऑट्टवा http://www.femmesetvilles.org/pdf-general/WISE_new%20safety%20audit%guide.pdf

परिशिष्ट

परिशिष्ट

अ. सुरक्षा जांच के लिए निर्देश

ब. सड़क सर्वेक्षण का नमूना

परिशिष्ट अ

सुरक्षा जांच के लिए निर्देश

सुरक्षा जांच मार्गदर्शक

महिला सुरक्षा जांच एक सहभागितापूर्ण तरीका है जिसकी मदद से शहर और सार्वजनिक जगहों की महिलाओं व अन्य अरक्षित समूहों के लिए सुरक्षा व पहुंच का अनुमान लगाया जा सकता है। इस साधारण सी प्रक्रिया में किसी जगह में चलकर/घूमकर उसकी सुरक्षा व असुरक्षा से संबद्ध कारणों का जायज़ा लिया जाता है। यह सुरक्षा-टहल[5] अंधेरा होने से पहले व बाद में की जाती है, जिससे यह परखा जा सके कि सार्वजनिक स्थलों पर रात के समय क्या बदलाव आते हैं। मूलतः स्वभाव से सहभागी ये सुरक्षा-टहल असुरक्षित जगहों तथा उनको असुरक्षित व पृथक बनाने वाले कारणों की पहचान कराती हैं।

महिला सुरक्षा जांच तथ्य संकलन व समुदाय और महिलाओं को सशक्त बनाने का साधन है। यह इस धारणा पर आधारित है कि किसी भी जगह का उपयोग करने वाले लोग ही उसके सही विशेषज्ञ होते हैं, लिहाज़ा उनके पास उस स्थान पर होने वाली दिक्कतों का हल ढूंढने के लिए ज्ञान भी होता है। इस लिहाज़ से सुरक्षा जांच लोगों के अनुभवों पर आधारित एक ऐसा तरीका है जो उनके सरोकारों व विचारों को समान महत्व देती है।

महिला सुरक्षा जांच के पीछे मूल विश्वास यह है कि जगहों को महिलाओं व अन्य अरक्षित समूहों के लिए सुरक्षित बनाने का अर्थ है, उन्हें सभी के लिए महफूज़ बनाना।

सुरक्षा जांच की तैयारी

- टीम में ज़्यादातर 3 से 7 सदस्य होते हैं। टीम बनाते समय उस जगह के उपयोगकर्ताओं को उसमें अवश्य शामिल करें। साथ ही टीम में अरक्षित व हाशिये पर रहने वाले समूहों के सदस्यों को भी जोड़ें।

[5] सेफ़्टी वॉक

- सुरक्षा टहल में लगभग तीन घंटे लगते हैं-पहला डेढ़ घंटा जांच करने में और बाद का आधा समय, एकत्रित जानकारी पर चर्चा करने और सुझावों सहित कार्यकारी योजना तैयार करने में।
- स्थानीय अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा जांच में शामिल करके उपयोगकर्ताओं के नज़रिये से परिचित कराना फायदेमंद रहता है।
- सहभागियों को सुरक्षा जांच करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें जांच क्षेत्र और इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों से भी परिचित कराया जाना ज़रूरी है।
- जांच क्षेत्र तय करके उसका खाका तैयार करें तथा सुरक्षा टहल में लिया जाने वाला रास्ता भी निश्चित कर लें। आप एक से अधिक मार्ग चुन सकते हैं। क्षेत्र के नक्शे व मार्ग चित्र साथ रखें।
- दस्तावेज़ीकरण के लिए क्षेत्र के मार्ग चित्र व नक्शे तथा रूपरेखा सांचा साथ रखें। हर सदस्य की भूमिका तय करें।
- टीम के साथ मिलकर दिन के समय व अंधेरा होने के बाद सुरक्षा जांच करें जिससे सुरक्षा के विविध पक्षों को जांचा जा सके।

निम्न बातों का ध्यान रखें

1. निगरानी/रिकॉर्डिंग-जांच के दौरान किन पहलुओं को देखना है?
    - सड़कों की हालत
    - फुटपाथों की दशा
    - साइनेज़ (दिशा-संकेत), नक्शे
    - खाली जगहें
    - बत्तियों की संख्या, क्या वे जलती हैं, क्या पेड़-पौधे बत्तियों को ढके हुए हैं?
    - सार्वजनिक शौचालय
    - जगह का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है?
    - जगह को कौन इस्तेमाल करता है?

- क्या जगह को अलग-अलग समय पर अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है?
- उपलब्ध सुविधाएं-फ़ोन आदि
- निकटवर्ती पुलिस वैन या पुलिस चैक पोस्ट
- सुरक्षा गार्ड

2. रिकॉर्डिंग-असुरक्षा बढ़ाने वाले कारणों को लिखें :
   - आप किसी जगह पर कब असहज महसूस करती हैं?
   - क्या यहां आपने कुछ नकारात्मक सुना या अनुभव किया है?
   - अगर आप मदद के लिए पुकारें तो क्या यहां कोई सुन पाएगा?
   - क्या यहां कोई आपकी मदद करेगा?
   - कौन से बदलाव आने पर आप इस जगह सुरक्षित महसूस करेंगी?
   - यहां सुरक्षा के मुद्दे को सम्बोधित करने में कौन अहम भूमिका निभा सकता है?

3. हस्तक्षेपों के लिए सुझाव (सहभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद)
   - मौजूदा माहौल में बदलाव
   - नीतियों में बदलाव
   - जगह के इस्तेमाल में बदलाव
   - पुलिसिंग और सेवा-आपूर्ति में बदलाव

4. विश्लेषण-मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखें जिन्हें इन सुझावों के सहयोग में प्रयोग किया जा सकता है। असुरक्षा के कारणों और समस्या के विभिन्न आयामों में आपसी जुड़ाव की गहन समझ बनाने के लिए पणधारियों के साथ चर्चाएं करें।

5. प्रस्तुति-अपने सुझाव रखने और सक्रिय कार्यवाही प्रोत्साहित करने के लिए संबद्ध पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करें।

6. वितरण और सम्प्रेषण-बदलावों की पैरवी और सकारात्मक बदलावों को उजागर करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करें।

परिशिष्ट ब

सड़क सर्वेक्षण का नमूना

जागोरी/10-11/सीमित वितरण के लिए

दिल्ली प्रश्नावली-महिलाओं व लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त व सुरक्षित शहर अगुवाई

फार्म संख्याः	दिनांकः	साक्षात्कार का समयः अंधेरा होने से पहले अंधेरा होने के बाद
सर्वेक्षण क्षेत्र का नामः		सर्वेक्षण क्षेत्र का कोडः
साक्षात्कार स्थल का नामः		साक्षात्कार स्थल का कोडः
प्रश्नकर्ताः	2 = महिला	
प्रश्नकर्ता का नामः		
द्वारा जांच की गईः		

प्रश्नकर्ता कृपया पढ़ेंः नमस्ते। मैं सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सर्वेक्षण कर रही हूँ। सुरक्षा से मेरा मतलब है– औरत होने के नाते हमले, छेड़खानी, उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा। क्या आप औरतों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगी? इसमें दस मिनट से भी कम समय लगेगा।

प्रश्नकर्ता के लिए अनुदेश अगर जवाब देने वाली लड़की/महिला उत्तर देने में दिक्कत महसूस करे तो उनका धन्यवाद करके सर्वेक्षण खत्म कर दें। अगर आपको जवाब देने वाली महिला/लड़की की उम्र को लेकर कोई संदेह है तो कहें "मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्र सोलह वर्ष से ज़्यादा है।" अगर उसकी उम्र सोलह वर्ष से कम हो तो उसका शुक्रिया अदा करें और समझाएं कि सर्वेक्षण सोलह वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए हैं।

जहां कहीं लागू हो, अपने विकल्प पर गोला लगा दें।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	विकल्प	छोड़ दें/ रिमार्कस
1	आप इस शहर में कितने समय से रहती हैं? **एक कोडिंग** **कार्ड W1 दिखाएं**	1 = पांच वर्ष से अधिक 2 = 1.5 वर्ष 3 = एक वर्ष से कम 4 = शहर घूमने आई हूँ	
प्रश्नकर्ता, "अगले कुछ प्रश्न इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि नक्शे में चिन्हित हैं"। **[नक्शा दिखाएं और सीमाओं का वर्णन करें]**			
2	आज आप इस इलाके में क्यों आई हैं? **एक कोडिंग** **कार्ड W2 दिखाएं**	1 = यहाँ रहती हूँ 2 = पढ़ती/काम करती हूँ 3 = घूमने/खरीदारी करने आई हूँ 4 = अन्य (स्पष्ट करें)	
3	पिछले एक साल में आप इस इलाके में कितनी बार आई हैं? **एक कोडिंग** **कार्ड W3 दिखाएं**	1 = एक आध बार 2 = कभी-कभार कृपया स्पष्ट करें 3 = अक्सर/रोज़ आती हँ	
4	इस इलाके में ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वज़ह से आप सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं? तीन सबसे महत्वपूर्ण कारणो पर गोला लगाएं **अनेक कोडिंग** **कार्ड W4 दिखाएं**	1 = रोशनी की कमी 2 = मार्गदर्शकों अथवा जानकारी की कमी/असंतोषपूर्ण व्यवस्था 3 = खुले सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव में कमी 4 = भीड़भाड़ वाला सार्वजनिक यातायात/बस स्टेन्ड/स्टेशन 5 = स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की कमी 6 = सामान बेचने वाले स्टॉलों/लोगों का अभाव 7 = पुलिस की गैर मौजूदगी	

		8 = शराब या नशीली दवाओं का सेवन/बिक्री करने वाले पुरुष 9 = यहाँ के पुरुष महिलाओं की इज्ज़त नहीं करते 10 = अन्य (स्पष्ट करें)	
5	इस इलाके में जब आप होती हैं तो किस तरह के खतरे का आभास होता हैं? **अनेक कोडिंग** **कार्ड W5 दिखाएं**	1 = कोई नहीं, मुझे ऐसी कोई चिंता नही ⟶ 2 = यौन हिंसा (परेशान करना, छेड़खानी, पीछा करना, छूना, गुप्त अंग दिखाना, घूरना) 3 = यौन हमला/बलात्कार 4 = हिंसक शारीरिक आक्रमण 5 = लूटपाट 7 = हत्या 8 = अन्य (स्पष्ट करें)	**Q13**
प्रश्नकर्ता कृपया पढ़ें: अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे यौन हिंसा या इस इलाके में आपके साथ हुई किसी व्यक्तिगत हिंसा पर बात करना चाहूँगी। अगर जवाब देने वाली महिला तैयार न हो तो प्रश्न 19 पर जाऐं।			
6	क्या आपके विचार से इस इलाके में इनमें से कोई भी कारण महिलाओं की अपनी सुरक्षा को प्रभावित करता है? जो भी लागू हो, उन सभी पर गोला लगाएं **अनेक कोडिंग** **कार्ड W6 दिखाएं**	1 = एक महिला होना 2 = किसी विशेष धर्म का होना 3 = अन्य राज्य/क्षेत्र का होना 4 = विकलांग होना 5 = किसी खास आयु-वर्ग का होना (खुलासा करें) 6 = अन्य (स्पष्ट करें)	
7	पिछले एक वर्ष में आपने इस इलाके में सार्वजनिक स्थानों पर किस/किन प्रकार का/के यौन उत्पीड़न/हमले देखे हैं जो भी लागू हो, उन सभी पर गोला लगाएं **अनेक कोडिंग** **कार्ड W7 दिखाएं**	1 = मौखिक (सीटी बजाना/कमेंट पास करना आदि) 2 = दिखाई देने वाली (घूरना, भद्दें इशारे करना) 3 = शारीरिक (छूना, टटोलना आदि) 4 = यौन अंगो का प्रदर्शन 5 = स्टाकिंग- पीछा करना 6 = हिंसक शारीरिक हमला 7 = यौन हमला अथवा बलात्कार 8 = अन्य (स्पष्ट करें) 9 = कोई नहीं ⟶	**Q13**
8	पिछले एक वर्ष में इस इलाके में आपने इस तरह की घटनाओं का कितनी बार सामना किया हैं? **एक कोडिंग** **कार्ड W8 दिखाएं**	1 = केवल एक बार 2 = दो से पांच बार 3 = पांच बार से अधिक बार	
9	कोई घटना/घटनाएं जो आपको याद है?		
10	ऐसी घटना/घटनाएं किस समय घटी थीं? **एक कोडिंग** **कार्ड W10 दिखाएं**	1 = दिन के समय 2 = अंधेरा होने के बाद 3 = दोनों	
11	इस इलाके में किन खास सार्वजनिक स्थानों पर आपने पिछले एक वर्ष के दौरान यौन हिंसा/हमला/उत्पीड़न का सामना किया है? जो भी लागू हो, उन सभी पर गोला लगाएं **अनेक कोडिंग** **कार्ड W11 दिखाएं**	1 = सड़क के किनारे 2 = सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए 3 = सार्वजनिक परिवहन का इंतजार करते हुए 4 = बाज़ार क्षेत्र 5 = पार्क 6 = सार्वजनिक शौचालय 7 = अन्य (स्पष्ट करें)	

दिल्ली प्रश्नावली-महिलाओं व लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त व सुरक्षित शहर अगुवाई

12	क्या इस तरह की हरकत करने वाले तथा आसपास के माहौल से सम्बंधित आपको निम्न में से किसी भी प्रकार की बात याद है?	आपके अनुसार इस तरह की हरकत करने वाले व्यक्ति की उम्र **अनेक कोडिंग** **कार्ड W12अ दिखाएं**	1 = 16 वर्ष से कम 2 = 17-30 वर्ष 4 = 30-45 वर्ष 4 = 45 वर्ष तथा इससे अधिक 5 = याद नहीं	
		क्या एक व्यक्ति था या समूह था **एक कोडिंग** **कार्ड W12ब दिखाएं**	1 = एक व्यक्ति 2 = समूह 3 = दोनों 4 = याद नहीं	
13	इस इलाके में होने पर, यौन हिंसा से बचने के लिए क्या आप इन में से कोई बचाव के रास्ते अपनाती हैं? जो भी लागू हो, उन सभी पर गोला लगाएं **अनेक कोडिंग** **कार्ड W13 दिखाएं**	1 = कुछ विशेष सार्वजनिक स्थलों पर बिल्कुल नहीं जाती 2 = कोशिश करती हूँ कि कभी भी अकेले बाहर न जाना पड़े 3 = सार्वजनिक यातायात का उपयोग नहीं करती 4 = अंधेरा होने के बाद बाहर नही निकलती 5 = भीड़-भाड़ वाले इलाके से बचती हूँ 6 = अलग-थलग/वीरान जगहों पर नहीं जाती 7 = कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहनती 8 = अपने बचाव व सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें साथ रखती हैं 9 = नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती 10 = अन्य (स्पष्ट करें)		
अगर उत्तरदाता प्रश्न 11 और/या 12 का जवाब दे तो आपको प्रश्न 14 नहीं पूछना है, सीधे प्रश्न 15 पर जाना है।				
14	पिछले एक साल में आपने किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना किया है?	1 = हाँ 2 = नहीं →		**Q19**
15	पिछले एक वर्ष में जब आपका यौन उत्पीड़न/हमला किया गया तो आपने क्या किया? **अनेक कोडिंग** **कार्ड W15 दिखाएं**	1 = कुछ नहीं 2 = ऐसी हरकत करने वाले का मुकाबला किया 3 = आसपास खड़े लोगों से मदद के लिए कहा 4 = हेल्पलाइन/अन्य सेवा पर रिपोर्ट दर्ज की 5 = परिवार को बताया/परिवार से सहायता मांगी 6 = मित्र को बताया/मित्र से सहायता मांगी 7 = अन्य (स्पष्ट करें) 8 = पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की →		**Q17**
16	क्या आपने पुलिस से मदद लेने के बारे में सोचा?	1 = हाँ 2 = नहीं		
17	क्या आप समझती हैं कि पुलिस तक पहुंचने में बाधाएं पेश आती हैं?	1 = हाँ 2 = नहीं →		**Q19**
18	आपके विचार से पुलिस तक पहुंचने में कौन सी बाधाएं आती हैं? जो भी लागू हो, उन सभी पर गोला लगाएं **अनेक कोडिंग** **कार्ड W18 दिखाएं**	1 = घटना के लिए वे मुझे बदनाम करेंगे 2 = वे घटना को छुट-पुट घटना बतायेंगे/नज़रअंदाज़ करेंगे 3 = पुलिस तक जाने में डर लगता है 4 = प्रक्रिया बहुत पेचीदा है 5 = वे कुछ भी नहीं करेंगे 6 = वे मात्र घटना दर्ज करेंगे और आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे 7 = इस कारण मेरी और मेरे परिवार की बदनामी हो सकती है 8 = अन्य (स्पष्ट करें)		
19	पिछले एक साल में किसी महिला के साथ उत्पीड़न होते हुए देखा है	1 = हाँ 2 = नहीं →		**Q23**
20	जब आप महिलाओं और बालिकाओं को खुलेआम उत्पीड़ित होते देखती हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है?	1 = उत्पीड़ित हुई महिला की सहायता करती हूँ 2 = जनता की सहायता लेने का प्रयास करती हूँ 3 = पुलिस को बुलाती हूँ		

दिल्ली प्रश्नावली-महिलाओं व लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त व सुरक्षित शहर अगुवाई

	अनेक कोडिंग **कार्ड W20 दिखाएं**	4 = उलझना पसंद नहीं करती हूँ 5 = अन्य (स्पष्ट करें)	
21	जब कभी आपने महिलाओं पर हिंसा पर होते देखी तो क्या आपने कभी भी हस्तक्षेप किया?	1 = हाँ 2 = नहीं →	**Q23**
22	यदि हां तो आपने क्या किया?		
23	इस तरह की समस्याओं की ओर तत्काल ध्यान देने के लिए आपके विचार से किस प्रकार के उपाय किए जाने की ज़रूरत है?		
24	आपके परिवार की स्थिति ने इस तरह की घटनाओं/अनुभवों का मुकाबला करने के लिए आपको कैसे तैयार किया है? **अनेक कोडिंग** **कार्ड W24 दिखाएं**	1 = रोका है/हतोत्साहित किया है 2 = मुझे इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया है 3 = मुझे इससे निपटने के लिए प्रेरित किया है	
25	क्या आप इस तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में अपने माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को बताते हैं?	1 = हाँ 2 = नहीं →	**Q27**
26	यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? **अनेक कोडिंग** **कार्ड W26 दिखाएं**	1 = सख्ती से पेश आए आने-जाने पर पाबंदी लगा दी 2 = चर्चा की कि इस तरह की परिस्थिति का सामना कैसे करें 3 = इस तरह की स्थितियों को खामोशी से सहन न करने के लिए प्रेरित किया 4 = अन्य (स्पष्ट करें)	
27	यदि नहीं तो क्यों **अनेक कोडिंग** **कार्ड W27 दिखाएं**	1 = मुझे लगता है कि वे सख्ती से पेश आते और चिंताग्रस्त हो जाते 2 = वे मेरे आने जाने पर प्रतिबंध लगा देते 3 = वो मेरी मदद नहीं कर सकते और मुझे अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी 4 = अन्य (स्पष्ट करें)	
प्रश्नकर्ता : क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी?			
28	आपकी आयु क्या है?		
29	आप कहाँ तक पढ़ी हैं? **एक कोडिंग** **कार्ड W29 दिखाएं**	1 = स्कूल नहीं गई/प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की 2 = प्राथमिक शिक्षा पूरी की 3 = माध्यमिक शिक्षा पूरी की 4 = कॉलेज/विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की/कर रही हैं	
30	इनमें से कौन सा आपके परिवार की आय को दर्शाता है? **एक कोडिंग** **कार्ड W30 दिखाएं**	1 = 10,000 रुपए से कम 2 = 10,000 रुपए - 25,000 रुपए 3 = 25,000 रुपए से अधिक 4 = नही बता सकती	
31	आप क्या करती हैं?		
32	अगर आप परिवार की मुख्य कमाने वाली नहीं हैं तो परिवार के मुख्य कमाने वाले क्या करते हैं?		
प्रश्नकर्ता: "साक्षात्कार समाप्त हो गया। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।"			

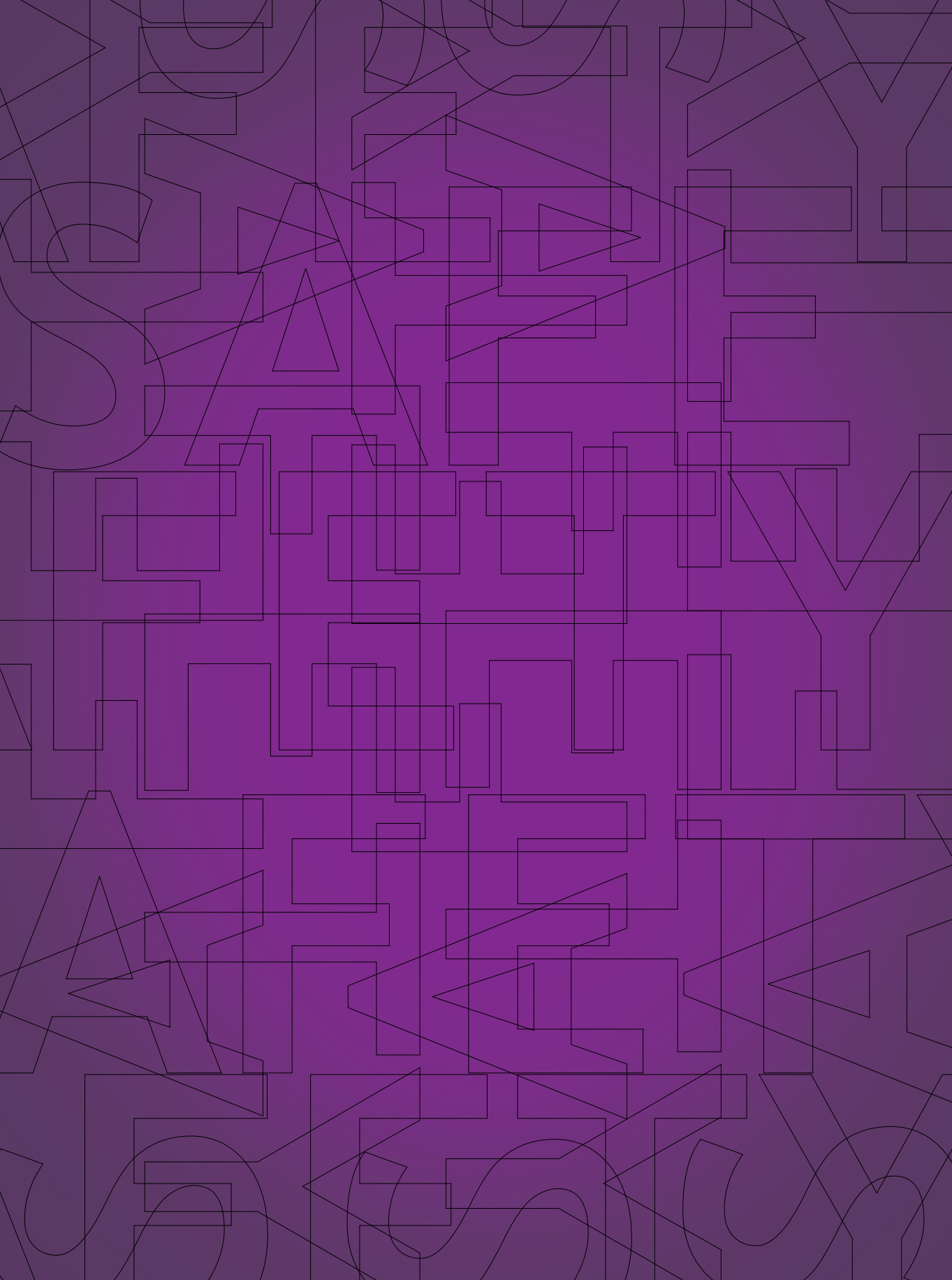

United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women

Department of Women and Child Development
Government of NCT of Delhi